राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल से पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त परियोजनाओं के तकनीकी परीक्षण हेतु राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की 691वीं बैठक दिनांक 18/10/2023 को डॉ. पी.सी. दुबे की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें समिति के निम्नलिखित सदस्य स्वयं/वीडियों कॉफ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित रहें :—

- 1. श्री राघवेन्द्र श्रीवास्तव, सदस्य ।
- 2. प्रो. (डॉ.) रूबीना चौधरी, सदस्य ।
- 3. डॉ. ए.के. शर्मा, सदस्य ।
- 4. प्रो. अनिल प्रकाश, सदस्य ।
- 5. डॉ. जय प्रकाश शुक्ला, सदस्य ।
- 6. डॉ. रवि बिहारी श्रीवास्तव, सदस्य ।
- 7. श्री चन्द्र मोहन ठाकुर, सदस्य सचिव ।

सभी सदस्यों द्वारा अध्यक्ष महोदय के स्वागत के साथ बैठक प्रारंभ करते हुए बैठक के निर्धारित एजेण्डा अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रोजेक्ट्सों का तकनीकी परीक्षण निम्नानुसार किया गया :-

1. Case No 9935/2023 Shri H.P. Rath, Vice President (Operations), M/s Macleods Pharmaceuticals Limited, R/o Plot No. 50 to 54A, Indore Special Economic Zone, Phase-II, Pithampur, District-Dhar Prior Environment Clearance for proposed expansion in existing manufacturing (formulation) plant at Plot No. M-50 to M54A, Indore SEZ, Phase-II, Pithampur, District-Dhar (MP) (EIA Presentation)

This is a case received for the Prior Environment Clearance for proposed expansion in existing manufacturing (formulation) plant at Plot No. M-50 to M54A, Indore SEZ, Phase-II, Pithampur, District-Dhar (MP). The project falls under the Cat 5 (f) (Synthetic Organic Chemicals Industry). ToR for carrying out EIA / EMP was recommended in 652nd SEAC Meeting dated 14/06/2022. EIA was received on-line for appraisal. Environment Consultant Shri Pradeep Chandasna & Shri Shubham, M/s Envisolve LLP, Indore (M.P.) and the proponent presented the EIA / EMP before the committee in the meeting. The salient features of the project as per the submissions made by the PP and their consultant are as follows:

SN	Projects Details		Remarks
1.	Online Proposal No	SIA/MP/IND3/440545/2023	
2.	Proposal /Activity Name	Shri H.P. Rath, Vice President (Operations), M/s Macleods Pharmaceuticals Limited, R/o Plot No. 50 to 54A, Indore Special Economic Zone, Phase-II, Pithampur,	
		District-Dhar (MP)-454775, hprath@macleodspharma.com, Mobile-7292.	E-mail- 350605
3.	Location of Project	Prior Environment Clearance for proposed expan. manufacturing (formulation) plant at Plot No. M Indore SEZ, Phase-II, Pithampur, District-Dhar (1-50 to M54A,

		Synthetic Organic Chemicals Industry.	
4.	Description of Project:		
5.	ToR details	ToR Recommended in 652 nd SEAC Meeting dated 14/06/2022.	
6.	Description of Project	M/s Macleods Pharmaceuticals Limited is currently engaged in Formulation of capsules and tablets (Non-EC Product) at Plot No M-50 to M-54A, Indore Special Economic Zone, Phase-II, Pithampur Dist. Dhar. Now Macleods Pharmaceuticals Limited proposing to manufacture Oncology bulk drugs & Peptide based bulk drugs, for which prior environment clearance has to be taken.	
7.	Water Supply Agrement	dated 29/04/2019.	
8.	DFO NOC letter	PP Apply letter No. Nil dated 10/04/2023.	
9.	Inter State distance letter	PP Apply letter No. Nil dated 18/04/2023.	
10.	CEPI Status PP Apply letter No. Nil dated 18/04/2023.		
11.	Production Qty. As per Parivesh Portal uploaded Form.		
12.	Range of ground water tab	lle (post monsoon) (m bgl) (Form -2 Point no14.6),	
		Documentary Details	
13.	Env. Con.	Shri Pradeep Chandasna & Shri Shubham, M/s Envisolve LLP, Indore (M.P.)	
14.	Water /Air Consent	Valid up to dt. 31/01/2024.	
15.	PFR	Ok	
16.	Risc Assessment	-	
17.	Any tree cutting proposed is observed	No Tree Cutting. Trees Uprooted Proposed -	
18.	Google image status:		

After deliberations the committee has sought following information along with the supporting documents from the PP & their consultant –

- 1. Copies of the all CTOs' (including the renewed CTOs') issued by the MPPCB for the existing products along with report on compliances of the terms and conditions of the CTO submitted to MPPCB.
- 2. Current generation of effluent and sewage with water balance.
- 3. Carbon foot-prints current and that expected after expansion.
- 4. Revised plantation scheme covering the entire boundary with proposal of planting Khas-grass in 2-3 rows along the river/nallah.
- 5. Revised water balance clearly showing the volume to be re-used, re-cycled etc.
- 6. Use of CGN instead of coal / bio-briquetts shall be explored and reported with final proposal on fuel to be used.
- 7. Proposal for Solar power generation / use shall be enhanced to 30% of the total power requirement in the industry.

- 8. CER activities to be revised including the remote & tribal villages as beneficiary.
- 2. <u>Case No 10574/2023 M/s Samdariya Builders (Bhopal) Private Limited, Owner, House No. 16, Sunarhaai Chowk, Sarafa Bazar, Samdariya Abhushan Bhandar, Sarafa, Sarafa ward, Jabalpur, Prior Environment Clearance for Samdariya Gold Project in an area of 5.589 ha. (55890 Sq.M.), Tehsil-Huzur, District-Bhopal (MP)</u>

Prior Environment Clearance for Samdariya Gold Project in an area of 5.589 ha. (55890 Sq.M.), Tehsil-Huzur, District-Bhopal (MP). Total Project area – 55,890 Sq.mtr. (13.81 Acre) and Built up area – 69861.87 sqm. The proposed project consist of Residential Flats, Parking, Commercial shops, Floors, Multiplex, Hotel etc. The project falls under the Cat. - 8(a). Building and Construction projects. Case was received on-line for appraisal. Environment Consultant Mr. Varun Bhardwaj, M/s Zenith Environment Consultancy, Noida (U.P.) and the proponent presented the salient feature and EMP before the committee in the meeting. The salient features of the project as per the submissions made by the PP and their consultant are as follows:

SN	Information Required	Details	
1.	Project	SIA/MP/INFRA2/434232/2023.	
2.	Project Name	M/s Samdariya Builders (Bhopal) Priva 16, Sunarhaai Chowk, Sarafa Bazar, Sarafa, Sarafa ward, Jabalpur, (MP)-482	Samdariya Abhushan Bhandar,
3.	Total Plot Area	Prior Environment Clearance for Samdariya Gold Project in an area of 5.589 ha. (55890 Sq.M.), Tehsil-Huzur, District-Bhopal (MP) [434232]. The land use of the proposed project is as under: -Total Project area – 55,890 Sq.mtr. (13.81 Acre)Built up area – 69861.87 sqm. The proposed project consist of Residential Flats,Parking, Commercial shops, Floors, Multiplex, Hotel etc. <u>Cat 8(a). Building and Construction projects.</u>	
4.	Description of Project	The proposed project is "Samdariya Gold Bhopal" Construction of Residential and Commercial Complex by M/s Samdariya Builders Private Limited Kishore Samdariya (Authorized Signatory) which is to be developed at Railway Land which has been taken on lease for 99 years (as per letter of acceptance from Rail Land Development Authority with vide letter no. RLDA/BPL/West Colony/RFP Dated 30.06.2023) the total plot size of the project is 55890 Sq.mtr. (13.81 acre).	
5.	Form 1A & Conceptual Plan	Submitted	
6.	EC Status	Fresh EC.	
7.	ToR Proposed	NA.	
8.	Lat./Log. (Conceptual Plan Pg - 3).	A 23°16'16.62"N 77°24'50.84"E B 23°16'16.02"N 77°24'48.10"E C 23°16'15.26"N 77°24'44.86"E D 23°16'11.44"N 77°24'42.29"E E 23°16'9.48"N 77°24'39.61"E	G 23°16'6.50"N 77°24'40.12"E H 23°16'5.18"N 77°24'41.96"E I 23°16'11.47"N 77°24'49.24"E j 23°16'19.87"N 77°24'53.64"E k 23°16'20.07"N 77°24'52.44"E

	T	
		F 23°16'7.94"N 77°24'41.44"E
9.	Diversion/Nazul NoC	
10.	MSW NOC	Apply letter dt. 09/08/2023.
11.	T&CP Permission	Letter No. 620 dated 26/04/2023.
12.	Wate NoC	Apply letter dt. 09/08/2023.
13.	Waste Water NOC	Apply letter dt. 09/08/2023.
14.	Parking Proposed Area:	1197 ECS. (Conceptual
		<i>Plan Pg - 3).</i>
15.	Tree Cutting NOC	NOC letter no. 699 dated 21/04/23. (258 Tree Cutting Permission)
16.	RWH	-
17.	Achieved Green Area	-
18.	Diesel power generating capacity (power backup)	Capacity –2x1000 kVA (DG Set) 1x500 KVA (DG Set) (Form-1 Page - 10).
19.	Risc Assesment	Submit.
20.	PFR	Ok
21.	EMP/ Env. Con	Env. Con. – Mr. Varun Bhardwaj, M/s Zenith Environment Consultancy, Noida (U.P.) Valid up to 13. 01 2026.

After deliberations the committee has sought following information along with the supporting documents from the PP & their consultant –

- 1. Clarify the clause of the agreement made with Railways regarding the payment of lease rent to Railways i.e. whether the lease rent shall be paid by the purchaser of the property or by the developers.
- 2. Water requirement during construction phase please clarify the quantum and the vendor or supplier of the water.
- 3. Water balance during operation phase clarifying the quantum of treated waste-water to be re-cyled.
- 4. Detailed proposal for dual plumbing so as to use the treated sewage in flushing.
- 5. Proposal for Solar power generation / use shall be enhanced to 30% of the total power requirement in the industry.
- 6. CER activities to be revised & re-submitted as per the provisions of MoEF & CC.
- 7. Regarding approval of lay-out by the T&CPO it was submitted by the PP that a letter has been written by the T&CPO seeking comments from railways on applicable provisions of Railway Act on this project. The response received from Railway to be furnished.
- 8. Revised plantation scheme to be submitted with provision of Green cover area 25%.

3. Case No 10562/2023 Shri Pratav Singh Tomar, Owner, M/s Tomar Builders and Contractors Private Limited, R/o A-1/8, Vinay Nagar, Sector-4, District-Gwalior (MP)-474012, Prior Environment Clearance for Keruaa Stone Quarry in an area of 3.90 ha. (150000 cum per year) (Khasra No. 290), Village-Kairua, Tehsil-Bhitarwar, District-Gwalior (MP)

प्रस्तावित खदान का दिनांक 18/10/2023 को परियोजना प्रस्तावक **Shri Pratav Singh Tomar, Owner,** एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री संचित कुमार, मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसर्च इंडिया (प्रा.) लि. नोयडा (उ.प्र.) द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वा	रा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / संस्थान का नाम व पता परियोजना का खसरा नं. / लीज क्षेत्रफल	Shri Pratav Singh Tomar, Owner, M/s Private Limited, R/o A-1/8, Vinay N (MP)-474012, Prior Environment Cleard area of 3.90 ha. (1,50,000 cum per year) Tehsil-Bhitarwar, District-Gwalior (MP) खसरा नं.—290,	Nagar, Sector-4, District-Gwalior ance for Keruaa Stone Quarry in an (Khasra No 290), Village-Kairua,
परियोजना स्थल	ग्राम– खेरूआ, तहसील – भीतरवार, जि	ना— ग्वालियर, (म.प्र.).
सैंधातिक सहमति	पत्र क0. दिनांक 22/08/2016.	
परियोजना की श्रेणी	बी-2.	
खनन् कार्य ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	Blasting will be done by licensed continecessary permissions from DGMS before (As per Parivesh Portal).	re blasting & inform DM and DGMS
डिया द्वारा जारी ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	गूगल इमेज में वर्ष 2016 के बाद परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरणीय र नहीं दी गई है।	
उत्पादन क्षमता	स्टोन – 1,5 0,000 घन मी / वर्ष।	
परियोजना के 500 मीटर की परिधि में संचालित /स्वीकृत अन्य खदानों का विवरण।	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिल् कमांक 677 दिनांक 12/04/2023 अ अन्य खदानें स्वीकृत है, जिनको मिलाव अतः प्रकरण बी—2 श्रेणी के अंतर्गत आत	नुसार 500 मीटर की परिधि में 04 कर कुल रकबा 13.70 हे. होता है,
परियोजना के संबंध में डीएफओ की एनओसी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिल क्रमांक 677 दिनांक 12/04/2023 अ नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव	नुसार 10 किलोमीटर की परिधि में

	में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
परियोजना के संबंध	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला ग्वालियर के एकल प्रमाण-पत्र
राजस्व जानकारी	क्रमांक 677 दिनांक 12 / 04 / 2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव
	बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, नाला इत्यादि स्थित नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम	ग्राम पंचायत— कैरूआ जिला — ग्वालियर का ठहराव प्रस्ताव क0. 01 द्वारा
पंचायत / नगर निगम	अनापत्ति पत्र जारी किया गया है।
की अनुमति	
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला ग्वालियर के एकल प्रमाण-पत्र
की स्थिति	क्रमांक 677 दिनांक 12 / 04 / 2023 द्वारा बताया कि इस खदान का विवरण
	जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट मे शामील कर लिया जावेगा।
	समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण
	समाघॉत निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक
	29 / 07 / 22 (प्रकरण में 9261 / 2022 — जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक
	04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी
	पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु
	सिया को अनुशंसित किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी के आंकलन के पश्चात् समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निम्न जानकारी मय आवश्यक दस्तावेजों के प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये —

- 1. खनन क्षेत्र की गूगल इमेज में वर्ष 2016 के बाद खनन कार्य परिलक्षित है। इस संबंध में प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत करें।
- 2. खनन क्षेत्र के निकट स्थित केनाल के दृष्टिगत निर्धारित सेटबैक देने के बाद बचे हुए खनन क्षेत्र हेतु पुर्नरीक्षित सर्फेस प्लान तथा तदानुसार अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत करें।
- 3. पुर्नरीक्षित प्लांटेशन स्कीम रंगीन मेप के साथ।
- 4. परियोजना प्रस्तावक के अनुसार खनन क्षेत्र में पूर्व से स्थापित क्रशर का उपयोग नहीं किया जायेगा। अतः यह स्पष्ट किया जाये कि खनन किये गये पत्थर की क्रशिंग कहाँ की जावेगी तथा माईन से क्रशर तक पत्थर का परिवहन किस प्रकार किया जावेगा।
- 4. <u>Case No 10578/2023 Shri Gaba Sondhiya, Lessee, Gram Panchayat-Aamba, Village-Naipuriya, District-Rajgarh (MP)-465674, Prior Environment Clearance for Naipuriya Crusher Stone Quarry in an area of 1.00 ha. (3500 cum per year) (Khasra No. 38/1/2/5), Village-Naipuriya, Tehsil-Rajgarh, District-Rajgarh (MP) (DEIAA to SEIAA)</u>

प्रस्तावित खदान का दिनांक 18/10/2023 को परियोजना प्रस्तावक Shri Gaba Sondhiya, Lessee एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरिज इंवायरोटेक इंडिया प्रा.लि., नोयडा, (उ.प्र.) द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक ह	द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / संस्थान का नाम व पता	Shri Gaba Sondhiya, Lessee, Gram Panchayat-Aamba, Village-Naipuriya, District-Rajgarh (MP)-465674, Prior Environment Clearance for Naipuriya Crusher Stone Quarry in an area of 1.00 ha. (3,500 cum per year) (Khasra No. 38/1/2/5), Village-Naipuriya, Tehsil-Rajgarh, District-Rajgarh (MP) [428880] [DEIAA].	
परियोजना का खसरा नं. / लीज क्षेत्रफल	खसरा नं.—38 / 1 / 2 / 5,	एरिया— 1.00 ha., निजि भूमि,
परियोजना स्थल	ग्राम– नाईपुरिया, तहसील – राजगढ़,	जिला– राजगढ़ (म.प्र.).
सैंधातिक सहमति	पत्र क0. 97 दिनांक 14/02/2023.	
परियोजना की श्रेणी	बी-2.	
खनन् कार्य ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	CONTROLLED BLASTING (As per Parives	h Portal).
डिया द्वारा जारी ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	DEIAA Rajgarh EC issued vides letter No. 542 dated 04/07/2016, क्षमता स्टोन — 3,500 घन मी / वर्ष।	
प्रस्तावित उत्पादन क्षमता	स्टोन — 3,500 घन मी / वर्ष।	
परियोजना के 500 मीटर की परिधि में संचालित /स्वीकृत अन्य खदानों	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला राजगढ़ के एकल प्रमाण—पत्र कमांक 588 दिनांक 31/07/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदानें स्वीकृत नहीं है, जिनको मिलाकर कुल रकबा 01.00 हे.	
का विवरण।	होता है, अतः प्रकरण बी—2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।	
परियोजना के संबंध में डीएफओ की एनओसी	क्रमांक 588 दिनांक 31/07/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।	
परियोजना के संबंध	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला राजगढ़ के एकल प्रमाण-पत्र	
राजस्व जानकारी	क्रमांक 588 दिनांक 31/07/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, नाला इत्यादि स्थित नहीं है।	
ग्राम सभा/ ग्राम	ग्राम पंचायत— नाईपुरिया, जिला – राजगढ़ का ठहराव प्रस्ताव क0. 03	
	दिनांक 17 / 08 / 2022 द्वारा अनापत्ति पत्र जारी किया गया है।	

जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिला सर्वेक्षण स्थिति रिपोर्ट के पेज नं.— 12 के सरल क्रमांक — 102 पर दर्ज है।

यह प्रकरण डिया द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के री-एपराईजल हेतु प्राप्त हुआ है। परियोजना प्रस्तावक एवं उनके सलाहकार द्वारा दिया गया प्रस्तुतीकरण पूर्ण नहीं पाया गया। अतः समिति द्वारा पुनः निम्न बिन्दुओं पर जानकारी एवं आवश्यक दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिये गये :

- 1. Copy of Form-I
- 2. Land status/P2:
- 3. Area & Location with Khasra no:
- 4. Current Ekal Praman Patra
- 5. Status of Eco-Sensitive Zone (mentioned in Old & new Ekal Praman Patr/SEIAA Proposal/DEIAA EC)
- 6. Production capacity and year wise production details, in tabular form till today:
- 7. OB Dump and waste management with facts and figures:
- 8. Top soil management with soil profile:
- 9. Detail of old Environment Clearance with validity period:
- 10. EC transfer details (if any), old EC no.....date.....
- 11. Lease agreement details with compliance of LRC provisions
- 12. Water requirement (KLD):
- 13. Green Area: in hac. & Number of plants to be planted (Proposed)
- 14. No of trees & tree felling total tree inventory with photos:
- 15. Work Done under CER with coordinates, photos & verifiable proof:
- 16. Compliance of EC conditions (EC granted by DEIAA):
 - Tree plantation (Target/compliance/ Photographs)
 - GPS Photo graphs of at least 25% plantation for the proposed plantation.
 - Fencing work (Polygon with GPS photos showing complete fencing in total periphery)
 - GPS Photo graphs of Garland drains length & number & size of settling tanks
 - Detail of plants distribution with list: name of villager's, mobile number, number of plants name of village.
 - Verifiable proof of CER
- 17. Drone photograph of 500 m radius of proposed area.
- 18. Carbon footprint.
- 19. Compliance of water/ air consents issued by MPPCB.

Note: 1. Form-I should tally with presentation (PPT) figures

2. Furnished data should be supported with Geo-tagged photographs.

- 3. Surface plan should include over burden storage and details of crusher location (established/to be established) with all norms.
- 5. Case No 10564/2023 Shri Hirendra Pratap Singh, Leessee, R/o Mahagad, Tehsil-Manasa, District-Neemuch (MP)-458113, Prior Environment Clearance for Barthun Stone Quarry in an area of 1.69 ha. (10000 cum per year) (Khasra No. 1190, 1193, 1194), Village-Barthun, Tehsil-Manasa, District-Neemuch (MP) (DEIAA to SEIAA)

प्रस्तावित खदान का दिनांक 18/10/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री हितेन्द्र प्रताप सिंह एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमित सक्सेना, (ऑनलाईन) मेसर्स एपेक्स मिनटेक कांसल्टेंट, उदयपुर द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक,	Shri HIRENDRA PRATAPSINGH, Lessee, R/o Mahagad, Tehsil
परियोजना / कम्पनी	Manasa ,District –Neemuch (M.P.)
का नाम व पता	
खसरा नं. / क्षेत्रफल	1190,1193,1194 (निजी—नॉन फॉरेस्ट लेंड) 1.69 hectare.
(सरकारी / निजी) स्थल	THE Double to THE Manage Company of (THE)
	ग्राम Barthun तसहील Manasa जिला Neemuch (म.प्र.)
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर् (खनिज्रशाखा) जिला नीमच के पत्र क्रमांक 27 दिनांक
	11 / 01 / 2017 के द्वारा स्वीकृत ।
श्रेणी (बी-1 / बी-2)	बी—2
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।
डिया द्वारा जारी ई.सी. का	DEIAA Neemuch EC issued vide letter No. 603 dated 15/05/2017, खदान
विवरण (यदि लागू हो)	क्षेत्र की वर्ष 2018 के बाद गूगल इमेज में खनन कार्य तथा लीज क्षेत्र में
	कृशर स्थापित होना परिलक्षित है
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर—10,000 घनमीटर / वर्ष हेत् आवेदन किया
	गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार पत्थर—10,000
	घनमीटर / वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नीमच के एकल प्रमाण–पत्र
अन्य खदानें	क्रमांक ९४६ दिनांक 13 / 07 / 23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य
	कोई खदानें संचालित / स्वीकृत है, अतः प्रकरण बी—2 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नीमच के एकल प्रमाण-पत्र
अनापत्ति	क्रमांक ९४६ दिनांक 13/07/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में
	नेशनल पार्क / अभ्यारण्य / ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250

	मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नीमच के एकल प्रमाण–पत्र
अनापत्ति	क्रमांक ९४६ दिनांक 13/07/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव
	बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के
	स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/
	संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा
	संस्थान एवं जलीय निकाय / नदी / तालाब / बांध / स्टॉप
	डैम / नहर / ग्रामीण कच्चा / पक्का रास्ता / नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम	ग्राम पंचायत बरथुन जिला नीमच के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक–10 दिनांक
पंचायत की अनापत्ति	02 / 10 / 16 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई
	आपित्त नहीं है ।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की
की स्थिति	अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.—45 के सरल क्रमांक—31
	पर दर्ज है ।

यह प्रकरण डिया द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के री—एपराईजल हेतु प्राप्त हुआ है। परियोजना प्रस्तावक एवं उनके सलाहकार द्वारा दिया गया प्रस्तुतीकरण पूर्ण नहीं पाया गया। अतः समिति द्वारा पुनः निम्न बिन्दुओं पर जानकारी एवं आवश्यक दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिये गये।

- 1. Copy of Form-I
- 2. Land status/P2:
- 3. Area & Location with Khasra no:
- 4. Current Ekal Praman Patra
- 5. Status of Eco-Sensitive Zone (mentioned in Old & new Ekal Praman Patr/SEIAA Proposal/DEIAA EC)
- 6. Production capacity and year wise production details, in tabular form till today:
- 7. OB Dump and waste management with facts and figures:
- 8. Top soil management with soil profile:
- 9. Detail of old Environment Clearance with validity period:
- 10. EC transfer details (if any), old EC no.....date.....
- 11. Lease agreement details with compliance of LRC provisions
- 12. Water requirement (KLD):
- 13. Green Area: in hac. & Number of plants to be planted (Proposed)
- 14. No of trees & tree felling total tree inventory with photos:
- 15. Work Done under CER with coordinates, photos & verifiable proof:
- 16. Compliance of EC conditions (EC granted by DEIAA):
 - Tree plantation (Target/compliance/ Photographs)

- GPS Photo graphs of at least 25% plantation for the proposed plantation.
- Fencing work (Polygon with GPS photos showing complete fencing in total periphery)
- GPS Photo graphs of Garland drains length & number & size of settling tanks
- Detail of plants distribution with list: name of villager's, mobile number, number of plants name of village.
- Verifiable proof of CER
- 17. Drone photograph of 500 m radius of proposed area.
- 18. Carbon footprint.
- 19. Compliance of water/ air consents issued by MPPCB.

Note: 1. Form-I should tally with presentation (PPT) figures

- 2. Furnished data should be supported with Geo-tagged photographs.
- 3. Surface plan should include over burden storage and details of crusher location (established/to be established) with all norms.

6. Case No 10577/2023 Shri Surendra Jain, Lessee, Panjreh Bazar, District-Singrauli (MP)-486001, Prior Environment Clearance for Misiragawan Stone Quarry in an area of 2.00 ha. (18628 cum per year) (Khasra No. 1128), Village-Misigawan, Tehsil-Chitrangi, District-Singrauli (MP)

प्रस्तावित खदान का दिनांक 18/10/2023 को परियोजना प्रस्तावक **Shri Surendra Jain, Lessee** एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री एस.आई. तनवीर मे0. अल्ट्रा टेक, थाणे (महाराष्ट्र) द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वा	रा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / संस्थान का नाम व पता	Shri Surendra Jain, Lessee, Panjreh Bazar, District-Singrauli (MP)-486001, Prior Environment Clearance for Misiragawan Stone Quarry in an area of 2.00 ha. (18,628 cum per year) (Khasra No. 1128), Village-Misigawan, Tehsil-Chitrangi, District-Singrauli (MP) [438856] [DEIAA].	
परियोजना का खसरा	खसरा नं.—1128,	एरिया— 2.00 ha., निजि भूमि,
नं. / लीज क्षेत्रफल परियोजना स्थल	 ग्राम– मिसीगांव, तहसील– चितरंगी, जिल्	 ना— सिंगरौली़, (म.प्र.).
सैंधातिक सहमति	पत्र क0. दिनांक 25/09/2015.	
परियोजना की श्रेणी	बी-2.	
खनन् कार्य ब्लास्टिंग	Short Hole Blasting (As per Parivesh Portal).	

/ रॉक ब्रेकर	
डिया द्वारा जारी ई.सी. का	DEIAA Singrauli EC issued vide letter No. 105 dated 24/05/2016.
विवरण (यदि लागू हो)	
उत्पादन क्षमता	स्टोन — 18,628 घन मी / वर्ष।
परियोजना के 500	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिंगरौली के एकल प्रमाण-पत्र
मीटर की परिधि में	क्रमांक 2385 दिनांक 30/06/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 01
संचालित / स्वीकृत	अन्य खदानें स्वीकृत है, जिनको मिलाकर कुल रकबा 02.00 हे. होता है, अतः
अन्य खदानों का	प्रकरण बी–2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।
विवरण।	
परियोजना के संबंध में	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिंगरौली के एकल प्रमाण-पत्र
डीएफओ की एनओसी	क्रमांक 2385 दिनांक 30/06/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में
	नेशनल पार्क / अभ्यारण्य / ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में
	वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
परियोजना के संबंध	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिंगरौली के एकल प्रमाण-पत्र
राजस्व जानकारी	क्रमांक 2385 दिनांक 30/06/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव
	बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, नाला इत्यादि स्थित नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम	ग्राम पंचायत— मिसीगांव, जिला — सिंगरौली का ठहराव प्रस्ताव क0. 16
पंचायत / नगर निगम	दिनांक 16 / 08 / 2023 द्वारा अनापत्ति पत्र जारी किया गया है।
की अनुमति	
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिला सर्वेक्षण
की रिथति	रिपोर्ट के पेज नं.—32 के सरल क्रमांक — 43 पर दर्ज है।

प्रकरण आज सेक की 691वीं बैठक दिनांक 18/10/23 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक / उनके पर्यावरणीय सलाहकार समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु अंतिम अवसर देते हुए प्रकरण आगामी बैठक में रखा जाये ।

7. Case No 9217/2022 M/s Taal Minerals, Partner, Smt. Laxmi Agrawal, 7/26, Tilak Ward, Civil Line, Dist. Mandla, MP, Mobile - 9425821414 Prior Environment Clearance for Dolomite Quarry in an area of 4.45 ha. (Dolomite - 60899 Tonne per annum, Mine Waste - 1209 Cum per annum, Soil - 3067 Cum per annum) (Khasra No. 30, 32, 36P, 46, 48, 49, 50), Village - Bhanwartal, Tehsil - Bichhiya, Dist. Mandla (MP) (EIA Presentation)

प्रस्तावित खदान का दिनांक 18/10/23 को परियोजना प्रस्तावक Shri Parth Pathak S/o श्रीमती लक्ष्मी अग्रवाल एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री उमेश मिश्रा, मेसर्स किएटिव इंवायो सर्विसेस, भोपाल (म.प्र.) द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक,	Laxmi Devi Agrawal, Partner, M/S TAAL MINERALS, 7/26, Civil lines, Tilak	
परियोजना / कम्पनी	ward Mandla (M.P.)	
का नाम व पता		
खसरा नं./ क्षेत्रफल	36 P, 46, 48, 49, 50, 30 32(सरकारी —नॉन 4.45 hectare.	
(सरकारी / निजी)	फॉरेस्ट लेंड)	
स्थल	ग्राम Bhawartal तसहील Bichhiya जिला Mandla (म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय—भोपाल के पत्र दिनांक	
	05 / 04 / 12 के द्वारा स्वीकृत ।	
श्रेणी (बी-1 / बी-2)	बी—1	
टॉर	सिया के पत्र कमांक 1285 दिनांक 04/08/22 के द्वारा Dolomite -	
	60899 Tonne per annum, Mine Waste - 1209 Cum per annum, Soil - 3067	
	Cum per annum के लिए टॉर जारी, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक	
	द्वारा ईआईए तैयार कर प्रस्तुत की गई है ।	
ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
नया / क्षमता विस्तार	As informed by the PP, the mining lease was operated by lease M/s Taal	
	Minerals. The mining lease was granted for 20 years period w.e.f. 11.06.2012 to 10.06.2032. Now it was extended for 50 years in accordance with the MM	
	(D&R) amendment act 11.06.2012 up to 10.06.2062. The PP applied to	
	SEIAA for obtaining EC in the year 2013 (case no.1679/2013) and SEAC	
	issued the ToR on 20.08.2013, in accordance with notification date	
	15.01.2016, since case was less then 5ha, it was sent to DEIAA for appraisal.	
	During appraisal, forest NOC from office of Commissioner was asked by DEIAA, which was received vide letter no. 567/mineral/19-20 Jabalpur dated	
	23.03.2020, till then DEIAA was dissolved by the MoEF&CC, hence PP	
	again submitted application to SEIAA on dated 4.06.2022	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा Dolomite - 60899 Tonne per annum, Mine Waste -	
	1209 Cum per annum, Soil - 3067 Cum per annum हेतु आवेदन किया गया	
	है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार Dolomite - 60899 Tonne per	
	annum, Mine Waste - 1209 Cum per annum, Soil - 3067 Cum per annum है।	
500 मीटर की परिधि में	,	
अन्य खदानें	कमांक 819 दिनांक 07 / 07 / 21 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 04 अन्य	
	खदानें संचालित / स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 15.41 हे. होता है,	
	अतः प्रकरण बी–1 श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी की	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मण्डला के एकल प्रमाण-पत्र	
अनापत्ति	कमांक 819 दिनांक 07/07/21 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में	
	नेशनल पार्क / अभ्यारण्य / ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र नहीं है	

तहसीलदार की अनापत्ति	क्रमांक 819 दिनांक 07/07/21 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव
ग्राम सभा/ ग्राम	बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/बांध/स्टॉप डैम/ नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता / नाला नहीं है । ग्राम पंचायत काताजर जिला मण्डला के ठहराव प्रस्ताव दिनांक
पंचायत की अनापत्ति	20 / 08 / 04 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपित्त नहीं है ।
जन सुनवाई	जन सुनवाई के दौरान प्राप्त आपत्तियाँ / सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.—30 के सरल क्रमांक—11 पर दर्ज है ।

PP submitted following details about the lease:

The mining lease was operated by lease M/s Taal Minerals. The mining lease was granted for 20 years period w.e.f. 11.06.2012 to 10.06.2032. Now it was extended for 50 years in accordance with the MM (D&R) amendment act 11.06.2012 up to 10.06.2062. PP was applied at SEIAA for obtaining EC in the year 2013 (case no.1679/2013) and SEAC issued the ToR for subject mine on 20.08.2013. In accordance with notification date 15.01.2016, since case was less then 5ha, it was sent to DEIAA for appraisal. During appraisal, NOC of forest clearance from office of Commissioner was required, which was received vide letter no. 567/mineral/19-20 Jabalpur dated 23.03.2020, till then DEIAA was dissolved by the MoEF&CC, hence PP again submitted application to SEIAA on dated 4.06.2022, lease was closed since 2016. Since lease area comes under PESA act, hence fresh NOC from gram sabha has been obtained by PP as per requirement of Gram sabha. PP has given commitment letter to gram sabha regarding construction of road and development of fodder plot.

No villages or habitation is observed along the approach road. Numbers of mine observed in within 5km radius and pakka road will be construct with cooperation of all mine's owners. The road is passing at about 37 mtrs from the lease and PP submitted that this road were made for transportation of mineral by the mine owners of the area as number of mine are located in the vicinity

Presently 25 trees i.e. Aam (2no.), Palas (22no.) and Pipal (1no.) is observed within lease area and out of those, 15 trees i.e. palas will be cut down during mining activities. Project proponent are already planted about 200 trees i.e. Aam (40No.), Aawla (20no.), Amrood (20no.), Jamun (20No.), Kramer (40no.) and Bamboo (60no.) in the lease area and about 600 no of trees were distributed to villagers.

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तो एवं संलग्नक—ए अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तो के साथ पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

- 1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता Dolomite 60899 Tonne per annum, Mine Waste 1209 Cum per annum, Soil 3067 Cum per annum.
- 2. चूँिक खदान पेसा क्षेत्र में स्थित है, अतः पेसा एक्ट के प्रावधानों के तहत् की गई कार्यवाही सुनिश्चित करने के बाद ही खनन् कार्य किया जावें ।
- 3. स्वीकृत प्लांटेशन स्कीम के साथ-साथ 200 पलाश के वृक्षों का रोपण किया जावेगा।
- 4. माईन क्षेत्र में कशर स्थापित नहीं किया जावेगा।
- 5. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 31.97 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 17.58 लाख प्रति वर्ष ।
- 6. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 13.50 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01/02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
One warmer machine, one AC (2tonne), 2 complete bed, at primary Health center of Kakaiya	Rs 3.00
Fodder plot will be developed after providing of land by panchayat (1.00ha)	Rs 0.50
Construction and maintenance of WBM road (0.920km with the help of other mine owners	Rs 5
Fund for wild life habitat development and staff welfare Kahna Tiger Reserve Mandla (MP)	Rs 5

Total 13.50 lacs

7. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अविध तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 7980 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	In barrier zone (1684mX7.5m = 1.20ha)	Karanj, Pipal, Khamer, Neem, Sissoo, Jangle Jalebi, White Kastar inclusive of Palash (200 No) and other local species	2400
2	Backfilled area (1.63ha)	Karanj, Pipal, Khamer, Neem, Sissoo, Jangle Jalebi, White Kastar inclusive of Palash (200 No) and other local species	3260
	About 20 trees of Palas will be cut down during mining. 200 no of trees are already planted in lease area. and 600 no. of trees are distributed to villagers		200
		Total	5860
3	Along the transport route (900m) 2.5m distance with 1m height	Khamar, Neem, Chirol Kadamb, Sisoo, Karanj, Pipal, and other local species	720
4	For village distribution	Mango, Guava, Imli, Awala, Bel, Munga, Mahua and other local species (600 no. of trees are distributed to villagers)	1400
		Grand Total	7980

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें एवं 03 वर्ष तक उन पौधों का रख—रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन् अवधि तक किया जाये ।

गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका सरंक्षण किया जाना। परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गॉव का नाम, लाभांवित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त शर्तो के अधीन परियोजना की पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

8. Case No 10575/2023 Shri Sarvesh Jain, Owner, Ward No. 3, Near Raj Mandir, Village-Pathari, Tehsil-Pathari District-Vidisha (MP)-464337, Prior Environment Clearance for Ramgarh Flagstone Quarry in an area of 2.00 ha. (1500 cum per year) (Khasra No. 22), Village-Ramgarh, Tehsil-Kurwai, District-Vidisha (MP)

प्रस्तावित खदान का दिनांक 18/10/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री सर्वेश जैन. एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अंकुर शर्मा मेसर्स कांग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्रा.लि., नोएडा, उ.प्र. द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी का नाम व पता	Shri SARVESH JAIN, Owner, Ward No.3, Near Raj Mandir, Village-Pathari Tehsil Pathari District Vidisha (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	22 (सरकारी —नॉन फॉरेस्ट लेंड) 2.00 hectare.	
स्थल	ग्राम RAMGARH तसहील Kurwai जिला Vidisha (म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म, म.प्र. के पत्र क्रमांक 1991 दिनांक 14 / 02 / 23 के द्वारा स्वीकृत ।	
श्रेणी (बी-1 / बी-2)	बी-2	
ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग नहीं प्रस्तावित है।	
नया / क्षमता विस्तार	नया प्रोजेक्ट, दिनांक 14/02/2023 को लीज स्वीकृत प्रकरण डिया से	
	संबंधित नही।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा फ्लैग पत्थर—1500 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन	
	किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार फ्लैग पत्थर—1500	
	घनमीटर / वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला विदिशा के एकल प्रमाण–पत्र	
अन्य खदानें	कमांक 355 दिनांक 15/06/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य	
	कोई खदानें संचालित / स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी की	,	
अनापि्ति	कुमांक 355 दिनांक 15/06/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में	
	नेशनल् पार्क / अभ्यारण्य / ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250	
	मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।	
तहसीलदार की	,	
अनापत्ति	क्रमांक ३५५ दिनांक 15 / 06 / 23 अनुसार ५०० मीटर की परिधि में मानव	
	बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के	
	रमारक, रेल्वे लाईन/ सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय	
	राजमार्ग / संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा,	
	प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप	
	डैम / नहर / ग्रामीण कच्चा / पक्का रास्ता / नाला नहीं है ।	
ग्राम सभा/ ग्राम	ग्राम पंचायत रामगढ़ जिला विदिशा के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक—4 दिनांक	

पंचायत की अनापत्ति	09 / 04 / 21 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई
	आपित्त नहीं है ।
गूगल इमेज अनुसार	पूर्व दिशा— रोड़ 77 मीटर पर
वर्तमान स्थिति	
	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला विदिशा के एकल प्रमाण–पत्र
की स्थिति	क्रमांक 355 दिनांक 15/06/23 अनुसार उक्त उत्खनिपट्टा को आगामी
	जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में शामिल किय जावेगा ।
	समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण
	समाघॉत निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक
	29 / 07 / 22 (प्रकरण में 9261 / 2022 — जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक
	04 / 08 / 22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी
	पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति
	हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तो एवं संलग्नक—ए अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तो के साथ पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

- अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता फ्लैग पत्थर-1500 मी³ प्रति वर्ष।
- 2. पर्योवरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 11.41 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 02.24 लाख प्रति वर्ष ।
- 3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.40 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 / 02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
ग्राम रामगढ़ प्राथमिक शाला में बच्चों के लिए टेबल चेयर सेट की राशि पालक शिक्षक संघ में जमा करवाना है	40,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 2500 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन	नीम, पीपल, करंज, चिरोल, सीताफल एवं अन्य	300

		प्रजातियाँ।	
2	परिवहन मार्ग	नीम, करंज, चिरोल, जंगल जलेबी एवं अन्य प्रजातियाँ	100
3	गाँव में वितरण	कटहल, आम, जामुन, मुनगा, आवला एवं अन्य प्रजातियाँ।	2000

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें एवं 03 वर्ष तक उन पौधों का रख—रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन् अवधि तक किया जाये ।

गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका सरंक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गॉव का नाम, लाभांवित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।

कुल 2500

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त शर्तो के अधीन परियोजना की पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

9. Case No 10579/2023 Shri Sheela Patle, Proprietor, M/s Narmada Mining Corporation, Harka Niwas, Narmada Colony, Dada Dhaniram Ward, Aangan Tiraha, Maharajpur, District-Mandla (MP)-481665, Prior Environment Clearance for Katamal Dolomite Quarry in an area of 4.54 ha. (97200 TPA) (Khasra No. 549 ,550 ,551 ,552, 553, 554, 556), Village-Kata Mal., Tehsil-Bichhiya, District-Mandla (MP) (DEIAA to SEIAA)

प्रस्तावित खदान का दिनांक 18/10/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री शीला एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरीज इंनवायरोटेक इंडिया प्रा. लि. लखनऊ द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा	प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी	SHEELA PATLE, Proprietor, M/s Nar Harka Niwas, Narmada Colony, Dad	
का नाम व पता	Tiraha, Maharajpur, Mandla (M.P.)	_
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	549 ,550 ,551 ,552, 553, 554, 556, 557, 558, 559, 560, 741 (निजी भूमि कुछ खसरे आदिवासी के नाम से है)	4.540 hectare.

	भू—स्वामी की सहमति पत्र नहीं है ।	
<u></u> स्थल	Village – Katamal, Tehsil – Bichhiya & District – Mandla (M.P.)	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग के पत्र क्रमांक 805 दिनांक	
(गाज रपाप्रारा	11/02/21 के द्वारा स्वीकृत ।	
श्रेणी (बी-1 / बी-2)	बी-2	
ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार कंट्रोल ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
डिया ई.सी. का विवरण	डिया मण्डला के पत्र कमांक 100 दिनांक 06/09/17 के द्वारा	
· .	डिया मण्डला क पत्र क्रमांक 100 दिनांक 06/09/17 क द्वारा डोलोमाइट—15,575 एटीपी हेत् पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है	
(यदि लागू हो)		
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा डोलोमाइट—97,200 घनमीटर / वर्ष हेतु आवेदन	
	किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार डोलोमाइट–97,200	
500 100 100 100 100 100 100 100 100 100	घनमीटर / वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मण्डला के एकल प्रमाण-पत्र	
अन्य खदानें	कमांक 1157 दिनांक 03/07/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य	
	कोई खदानें संचालित / स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी की	,	
अनापत्ति	क्रमांक 1157 दिनांक 03/07/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में	
	नेशनल पार्क / अभ्यारण्य / ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250	
	मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।	
	,	
अनापत्ति	क्रमांक 1157 दिनांक 03/07/23 अनुसार 500 मीट्र की परिधि में मानव	
	बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के	
	रमारक, रेल्वे लाईन्/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/	
	संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा	
	संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप	
	डैम / नहर / ग्रामीण कच्चा / पक्का रास्ता / नाला नहीं है ।	
ग्राम सभा/ ग्राम		
पंचायत की अनापत्ति	20/10/15 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई	
0 1	आपित्त नहीं है ।	
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट	· ·	
की स्थिति	अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.—31 के सरल क्रमांक—13	
	पर दर्ज है ।	

यह प्रकरण डिया द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के री—एपराईजल हेतु प्राप्त हुआ है। परियोजना प्रस्तावक एवं उनके सलाहकार द्वारा दिया गया प्रस्तुतीकरण पूर्ण नहीं पाया गया। अतः समिति द्वारा पुनः निम्न बिन्दुओं पर जानकारी एवं आवश्यक दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिये गये।

1. Copy of Form-I

- 2. Land status/P2:
- 3. Area & Location with Khasra no:
- 4. Current Ekal Praman Patra
- 5. Status of Eco-Sensitive Zone (mentioned in Old & new Ekal Praman Patr/SEIAA Proposal/DEIAA EC)
- 6. Production capacity and year wise production details, in tabular form till today:
- 7. OB Dump and waste management with facts and figures:
- 8. Top soil management with soil profile:
- 9. Detail of old Environment Clearance with validity period:
- 10. EC transfer details (if any), old EC no.....date.....
- 11. Lease agreement details with compliance of LRC provisions
- 12. Water requirement (KLD):
- 13. Green Area: in hac. & Number of plants to be planted (Proposed)
- 14. No of trees & tree felling total tree inventory with photos:
- 15. Work Done under CER with coordinates, photos & verifiable proof:
- 16. Compliance of EC conditions (EC granted by DEIAA):
 - Tree plantation (Target/compliance/ Photographs)
 - GPS Photo graphs of at least 25% plantation for the proposed plantation.
 - Fencing work (Polygon with GPS photos showing complete fencing in total periphery)
 - GPS Photo graphs of Garland drains length & number & size of settling tanks
 - Detail of plants distribution with list: name of villager's, mobile number, number of plants name of village.
 - Verifiable proof of CER
- 17. Drone photograph of 500 m radius of proposed area.
- 18. Carbon footprint.
- 19. Compliance of water/ air consents issued by MPPCB.
- Note: 1. Form-I should tally with presentation (PPT) figures
 - 2. Furnished data should be supported with Geo-tagged photographs.
- 3. Surface plan should include over burden storage and details of crusher location (established/to be established) with all norms.
- 10. Case No 9458/2022 Shri Kothuru Durga Rao S/o Shri Appa Rao R/o Mohan Takies Road, District Katni (MP)-483501, Prior Environment Clearance for Dolomite Quarry in an area of 5.963 ha. (104498 TPA) (Khasra No. 44/1, 65/1K & 65/3 Kh

(Old) New Khasra No 45 (Pvt. Land), 52 (Govt.), Village - Paraikap, Tehsil - Barwara, Dist. katni (MP) (EIA Presentation)

प्रस्तावित खदान का दिनांक 18/10/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री कोठरू दुर्गा एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरीज इंनवायरोटेक इंडिया प्रा. लि. लखनऊ द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया। प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी के अनुसार परियोजना संबंधित मुख्य जानकारियाँ निम्नानुसार है :—

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक,	Shri Radhakrishn Agrawal, Authorized Signatory, R/o- Gokul Dham Colony,	
परियोजना / कम्पनी	Near Mai Nadi, Rahul Bagh, Katni (M.P.)	
का नाम व पता		
खसरा नं./ क्षेत्रफल	44/1, 65/1K & 65/3 Kh (Old) New Khasra No 5.963 hectare.	
(सरकारी / निजी)	45 (Pvt. Land), 52 (Govt.) (सरकारी / निजी (1.13 हे. निजी भूमि)	
, ,	–नॉन फॉरेस्ट लेंड परियोजना प्रस्तावक को	
	भू—स्वामी की सहमति प्राप्त है)	
स्थल	ग्राम Parai Kap तसहील Badwara जिला Katni (म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	लीज अनुबंध दिनांक 04 / 12 / 2015.	
श्रेणी (बी-1 / बी-2)	बी—1	
टॉर	सिया के पत्र क्रमांक 2471 दिनांक 05/091/23 के द्वारा	
	डोलोमाइट—1,04,498 टीपीए के लिए टॉर जारी, जिसके अनुसार परियोजना	
	प्रस्तावक द्वारा ईआईए तैयार कर प्रस्तुत की गई है ।	
ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
नया / क्षमता विस्तार	खदान का लीज अनुबंध दिनांक 04/12/2015 का है किन्तु खदान क्षेत्र	
	की गूगल इमेज में कोई खनन कार्य परिलक्षित नहीं है।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा डोलोमाइट—1,00,669 टीपीए हेतु आवेदन किया	
	गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार डोलोमाइट—1,00,669 टीपीए	
	है।	
500 मीटर की परिधि में	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के एकल प्रमाण–पत्र	
अन्य खदानें	कमांक 1342 दिनांक 24/05/22 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य	
	कोई खदानें संचालित / स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी—2 श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी की	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के एकल प्रमाण–पत्र	
अनापत्ति	कमांक 1342 दिनांक 24/05/22 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में	
	नेशनल पार्क / अभ्यारण्य / ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250	
	मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।	
तहसीलदार की	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के एकल प्रमाण-पत्र	
अनापत्ति	कमांक 1342 दिनांक 24/05/22 अनुसार उत्तर-पश्चिम दिशा में 450	

	मीटर पर नाला है, शेष अन्य 500 मीटर की परिधि में नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम	ग्राम पंचायत भादावर जिला कटनी के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक–4 दिनांक
पंचायत की अनापत्ति	24 / 03 / 22 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई
	आपित्त नहीं है ।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की
की स्थिति	अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.—23 के सरल क्रमांक—82
	पर दर्ज है ।

प्रस्तुतीकरण के पश्चात् परियोजना प्रस्तावक से निम्न बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण / जानकारी चाही गई :--

- 1. विषय विशेषज्ञ से जियो-हाइड्रोलॉलिकल स्टडी प्रस्तुत करें।
- 2. पुनरीक्षित वृक्षारोपण योजना ।
- 3. यदि खदान पेसा क्षेत्र में स्थित हो तो पेसा एक्ट के प्रावधानों के तहत् की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत करें ।
- 4. म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 247 (5) के तहत संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा भूमि स्वामियों की क्षतिपूर्ति के निर्धारण हेतु किये गये प्रावधानों/उपबंधों का पालन भूमि स्वामियों को समक्ष में सुनकर भूमि के सतह अधिकार के संबंध में क्षतिपूर्ति का निर्धारण संबंधी जानकारी प्रस्तुत करें ।
- 5. म.प्र. गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 9 (क) एवं नियम,06(क) के प्रावधान अंतर्गत किएडका 04 में किये गये प्रावधानों के अनुरूप सहमति धारक को उत्खनन पट्टा स्वीकृत होने पर, देय रॉयल्टी के 15 प्रतिशत के समतुल्य रकम का सहमति धारक को भुगतान सुनिश्चित किया जाये। उपरोक्त शर्तो का पालन भू-प्रवेश अनुमित के पूर्व सुनिश्चित किया जावें।
- 11. Case No 10563/2023 Shri Arjun Parihar, Leessee, Village and Post-Semlikalan, Tehsil-Khilchipur, District-Rajgarh (MP)-465679, Prior Environment Clearance for Dhablikalan Crusher Stone Quarry in an area of 1.00 ha. (4118 cum per year) (Khasra No. 691/8), Village-Dhabli Kalan, Tehsil-Khilchipur, District-Rajgarh (MP)

प्रस्तावित खदान का दिनांक 18/10/2023 को परियोजना प्रस्तावक Shri Arjun Parihar, Leessee एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरिज इंवायरोटेक इंडिया प्रा.लि., नोयडा, (उ.प्र.) द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया। प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी के अनुसार परियोजना संबंधित मुख्य जानकारियाँ निम्नानुसार है :—

पारयाजना विवरण पारयाजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावज	परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
---	----------------	---

परियोजना प्रस्तावक,		
परियोजना / कम्पनी	Shri Arjun Parihar, Leessee, Village and Post-Semlikalan, Tehsil-Khilchipur,	
/ संस्थान का नाम	District-Rajgarh (MP)-465679, Prior Environment Clearance for Dhablikalan Crusher Stone Quarry in an area of 1.00 ha. (4,118 cum per year) (Khasra No.	
'	691/8), Village-Dhabli Kalan, Tehsil-Khilchipur, District-Rajgarh (MP) [440571].	
व पता		
परियोजना का खसरा	खसरा नं.—691 / 8, एरिया— 1.00 ha., शासकीय भूमि,	
नं. / लीज क्षेत्रफल		
परियोजना स्थल	ग्राम— ढ़ाभली कलां, तहसील – खिलचीपुर, जिला— राजगढ़, (म.प्र.).	
सैंधातिक सहमति	पत्र क0. 211 दिनांक 17 / 03 / 2023.	
परियोजना की श्रेणी	बी—2.	
खनन् कार्य ब्लास्टिंग	Muffle Blasting (As per Parivesh Portal).	
/ रॉक ब्रेकर		
डिया द्वारा जारी ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नही।	
उत्पादन क्षमता	स्टोन – 4,118 घन मी / वर्ष।	
परियोजना के 500	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला राजगढ़ के एकल प्रमाण–पत्र	
मीटर की परिधि में	क्रमांक 615 दिनांक 08/08/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 01	
संचालित /स्वीकृत	अन्य खदानें स्वीकृत है, जिनको मिलाकर कुल रकबा 02.00 हे. होता है,	
अन्य खदानों का	अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।	
विवरण।	ON MAN I AI Z MII AN ON IN ON IN O	
परियोजना के संबंध में	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला राजगढ़ के एकल प्रमाण–पत्र	
डीएफओ की एनओसी	कमांक 615 दिनांक 08/08/2023अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में	
	नेशनल पार्क / अभ्यारण्य / ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर	
	में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।	
परियोजना के संबंध	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला राजगढ़ के एकल प्रमाण–पत्र	
राजस्व जानकारी	कमांक 615 दिनांक 08/08/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव	
	बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, नाला इत्यादि स्थित नहीं है।	
ग्राम सभा/ ग्राम	ग्राम पंचायत— ढ़ाभली कलां, जिला — राजगढ़ का ठहराव प्रस्ताव क0. 16	
· _	दिनांक 16 / 08 / 2023 द्वारा अनापित्ति पत्र जारी किया गया है।	
की अनुमति		
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला राजगढ़ के एकल प्रमाण–पत्र	
की स्थिति	क्रमांक 615 दिनांक 08/08/2023 द्वारा बताया कि उक्त खदान का	
	विवरण जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट मे जोडी जावेगी।	
	समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण	
	समाघॉत निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक	
	29 / 07 / 22 (प्रकरण में 9261 / 2022 — जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक	
	04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी	
	पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु	
	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	

सिया को अनुशंसित किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तो एवं संलग्नक–ए अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तो के साथ पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

- 1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता स्टोन 4,118 मी³ प्रति वर्ष।
- 2. परियोजना प्रस्तावक के अनुसार खदान क्षेत्र में कृशर अथवा एम सेंड प्लान्ट प्रस्तावित नही है । अतः खदान क्षेत्र में कृशर अथवा एम सेंड प्लान्ट स्थापित करने की अनुमति नही दी जा सकेगी।
- 3. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 11.64 लाख एवं रिक्रेरिंग राशि रू. 02.69 लाख प्रति वर्ष।
- 4. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 60,000 / तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 / 02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.ई.आर मद में प्रस्तावित गतिविधि		राशि (रू0. में)
शासकीय प्राथमिक स्कूल ढाबलीकलां में फर्निचर (बीस बेंच एवं डेस्क) दो अलमारी		60,000
	योग	60,000 = 00

5. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अविध तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 1270 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन	चिरोल, नीम, बॉस, करंज, आम, सीताफल, सिस्सू एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	770
2	परिवहन मार्ग	कदम्ब, कचनार, चिरोल, नीम, पीपल, आम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ ट्री गार्ड के साथ	100
3	ग्रामवासियों मे वितरण हेतु	इमली, आवंला, नीबू, बेल, आम, जामुन, कटहल, मुनगा, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	400
		कुल	1270

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त शर्ती के अधीन परियोजना की पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

12. <u>Case No 10580/2023 Shri Anup Rajendra Singh Somwanshi, Partner, THAKUR STONE CRUSHER, Village-Chikaldara, District Amrawati (MH), Prior Environment Clearance for Jhallar Crusher Stone Quarry in an area of 1.50 ha. (20318 cum per year) (Khasra 10/2), Village-Jhallar, Tehsil-Bhainsdehi, District-Betul (MP)</u> (DEIAA to SEIAA)

प्रस्तावित खदान का दिनांक 18/10/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री अनूप राजेन्द्र सिंह सोमवंशी एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अंकुर शर्मा मेसर्स कांग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्रा.लि., नोएडा, उ.प्र. द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक,	Shri Anup Rajendra Singh Somwanshi, Partner, THAKUR STONE	
परियोजना / कम्पनी	CRUSHER, Village-Chikaldara, District Amrawati (MH)	
का नाम व पता	3	, ,
खसरा नं./ क्षेत्रफल	10/2 (निजी–नॉन फॉरेस्ट लेंड)	1.5 hectare.
(सरकारी / निजी)		
स्थल	ग्राम Jhallar तसहील Bhainsdehi जिला Betul ((म.प्र.)
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बैतूल	के पत्र क्रमांक ३६६ दिनांक
	24 / 02 / 23 के द्वारा स्वीकृत ।	
श्रेणी (बी-1 / बी-2)	बी—2	
ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
नया / क्षमता विस्तार	नया प्रोजेक्ट, दिनांक 24/02/2023 को लीज स्वीकृत प्रकरण डिया से	
	संबंधित नही।	
डिया ई.सी. का विवरण	डिया बैतूल के पत्र क्रमांक 127 दिनांव	
(यदि लागू हो)	पत्थर—20,750 घनमीटर / वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर—20,318 घनमी	
	गया है और अनुमोदित खनन् योजना	ा अनुसार पत्थर—20,318
	घनमीटर / वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला है	
अन्य खदानें	क्रमांक 1049 दिनांक 19/06/23 अनुसार 50	
	कोई खदानें संचालित / स्वीकृत नहीं है, अतः प्र	
वन मृण्डलाधिकारी की		
अनापत्ति	क्रमांक 1049 दिनांक 19/06/23 अनुसार 1	
	नेशनल् पार्क / अभ्यारण्य / ईको सेंसेटिव जोन	जैव विविधता क्षेत्र एवं 250
	मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।	
तहसीलदार की	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बै	तूल के एकल प्रमाण-पत्र

अनापि्तत	क्रमांक 1049 दिनांक 19/06/23 अनुसार प्रस्तावित स्थल से 10 मीटर
	पर कच्चा रास्ता एवं 100 मीटर से अधिक दूरी पर नदी/नाला, पक्की
	सड़क स्थित है, शेष अन्य 500 मीटर की परिधि नहीं है
ग्राम सभा/ ग्राम	ग्राम पंचायत झल्लार जिला बैतूल के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक–8 दिनांक
पंचायत की अनापत्ति	15/08/16 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई
	आपित्त नहीं है ।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट	
की स्थिति	अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.—27 के सरल क्रमांक—63
	पर दर्ज है ।

यह प्रकरण डिया द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के री—एपराईजल हेतु प्राप्त हुआ है। परियोजना प्रस्तावक एवं उनके सलाहकार द्वारा दिया गया प्रस्तुतीकरण पूर्ण नहीं पाया गया। अतः समिति द्वारा पुनः निम्न बिन्दुओं पर जानकारी एवं आवश्यक दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिये गये।

- 1. Copy of Form-I
- 2. Land status/P2:
- 3. Area & Location with Khasra no:
- 4. Current Ekal Praman Patra
- 5. Status of Eco-Sensitive Zone (mentioned in Old & new Ekal Praman Patr/SEIAA Proposal/DEIAA EC)
- 6. Production capacity and year wise production details, in tabular form till today:
- 7. OB Dump and waste management with facts and figures:
- 8. Top soil management with soil profile:
- 9. Detail of old Environment Clearance with validity period:
- 10. EC transfer details (if any), old EC no.....date.....
- 11. Lease agreement details with compliance of LRC provisions
- 12. Water requirement (KLD):
- 13. Green Area: in hac. & Number of plants to be planted (Proposed)
- 14. No of trees & tree felling total tree inventory with photos:
- 15. Work Done under CER with coordinates, photos & verifiable proof:
- 16. Compliance of EC conditions (EC granted by DEIAA):
 - Tree plantation (Target/compliance/ Photographs)
 - GPS Photo graphs of at least 25% plantation for the proposed plantation.
 - Fencing work (Polygon with GPS photos showing complete fencing in total periphery)
 - GPS Photo graphs of Garland drains length & number & size of settling tanks
 - Detail of plants distribution with list: name of villager's, mobile number, number of plants name of village.
 - Verifiable proof of CER

- 17. Drone photograph of 500 m radius of proposed area.
- 18. Carbon footprint.
- 19. Compliance of water/ air consents issued by MPPCB.
- Note: 1. Form-I should tally with presentation (PPT) figures
 - 2. Furnished data should be supported with Geo-tagged photographs.
- 3. Surface plan should include over burden storage and details of crusher location (established/to be established) with all norms.
- 13. Case No 9064/2021 Shri Sanjay Tiwari S/o Shri Bhoop Narayan Tiwari, 1074, Shukla Nagar, Indira Gandhi Ward, Garha, Ghana, Dist. Jabalpur, MP, Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 3.31 ha. (50003 cum per annum) (Khasra No.92, 95), Village Ghaghra, Tehsil Jabalpur, Dist. Jabalpur (MP)

प्रस्तावित खदान का दिनांक 18/10/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री संजय तिवारी एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री राम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी, बडौदा, गुजराज द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक,	Shri SANJAY TIWARI, Owner, 1074, SHUKLA NAGAR, INDIRA GANDHI	
परियोजना / कम्पनी	WARD, GARHA, GHANA, JABALPUR (M.P.)	
का नाम व पता		
खसरा नं. / क्षेत्रफल	92 & 95 (सरकारी —नॉन फॉरेस्ट लेंड) 3.31 hectare.	
(सरकारी / निजी)		
स्थल	VillageGhaghra, Tehsil- Jabalpur, District- Jabalpur (M.P.)	
लीज स्वीकृति	संचालनालय, भौमिकी एवं खनिकर्म, म.प्र. के पत्र क्रमांक 1148.51 दिनांक	
	19 / 01 / 21 के द्वारा स्वीकृत ।	
श्रेणी (बी-1 / बी-2)	बी—1	
टॉर	सिया के पत्र क्रमांक 92 दिनांक 09/04/22 के द्वारा पत्थर एवं	
	मुरूम—50,003 घनमीटर / वर्ष के लिए टॉर जारी किया गया है, जिसके	
	अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत	
	की गई है ।	
ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
नया / क्षमता विस्तार	नया प्रोजेक्ट, दिनांक 19/01/2021 को लीज स्वीकृत प्रकरण डिया से	
	संबंधित नही।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर—50,003 घनमीटर / वर्ष हेतु आवेदन किया	
	गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार पत्थर—50,003	
	घनमीटर / वर्ष है।	

500 मीटर की परिधि में	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के पत्र क्रमांक 694
अन्य खदानें	दिनांक 02/03/21 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 07 अन्य खदानें
	संचालित / स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 16.22 हे. होता है, अतः
	प्रकरण बी–1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के एकल प्रमाण–पत्र
अनापि्ति	क्रमांक 457 दिनांक 15/02/22 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में
	नेशनल पार्क / अभ्यारण्य / ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र नहीं है
	और वन सीमा कक्ष कमांक आर.एफ.—174 से 175 मीटर एवं नारंगी कक्ष
	ओ—464 से 35 मीटर होने से प्रकरण को आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में
	गठित वन सीमा से 250 मीटर की परिधि में आने वाले प्रकरणों के
	निराकरण हेतु गठित समिति के समक्ष प्रस्तुत कर दिनांक 01/09/18 को
	खदान स्वीकृति हेतु अनुशंसा प्राप्त की गई ।
तहसीलदार की	
अनापत्ति	क्रमांक ४५७ दिनांक १५/०२/२२ अनुसार ५०० मीटर की परिधि में मानव
	बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के
	स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा
	संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप
	डैम / नहर / ग्रामीण कच्चा / पक्का रास्ता / नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम	ग्राम पंचायत तिखारी जिला जबलपुर के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 11 दिनांक
पंचायत की अनापत्ति	31/05/17 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य का प्रस्ताव पारित ।
गूगल इमेज अनुसार	दक्षिण में 230 मीटर पर एवं दक्षिण—पश्चिम दिशा में 160 मीटर पर हॉलेज
वर्तमान स्थिति	रोड ।
जन सुनवाई	जन सुनवाई में प्राप्त आपत्तियाँ / सुझावों को पर्यावरणीय प्रबंधन योजना /
जन पुनमाइ	सी.एस.आर में बजट के साथ सम्मिलित किया गया है ।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की
की स्थिति	अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.—53 के सरल
MA IMIN	कुमांक-106 पर दर्ज है ।
	ארווייף וויט או איטו נין

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तो एवं संलग्नक–ए अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तो के साथ पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

- 1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर—50,003 मी³ प्रति वर्ष।
- 2. लीज क्षेत्र के आस—पास 200 मी. की दूरी तक यदि अवैध उत्खनन पाया जाता है तो तत्काल इसकी लिखित सूचना प्रशासन को दी जायेगी अन्यथा खनन् क्षेत्र के बाहर पाये जाने वाले अवैध उत्खनन् के लिए परियोजना प्रस्तावक को जिम्मेदार माना जावेगा ।

- 3. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 20.25 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 02.15 लाख प्रति वर्ष।
- 4. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 01.40 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01/02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.ई.आर मद में प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रू0. में)
मानेगांवग्राम के प्राथमिक शालामें 2पंखे की व्यवस्थाकरवाईजाएगीतथाग्राम के स्कूल की मरम्मत एवं पुताइ करवाई जावेंगी साथ ही साथ मानेगांव ग्राम में स्थित आंगनवाड़ी में गेट का निर्माणकरवाया जायेगा	60,000
पीने के पानी की सुविधा हेतु मानेगांव में हैंडपंप लगवाने साथ ही साथ हैंड पंप के चारो तरफ कंक्रीटिंग करवाकर पानी के निकासी हेतु उचित व्यवस्था तथा रिचार्जपिट की व्यवस्था करी जावेगी ।	80,000

5. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 1270 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	उत्खनिपट्टे के बैरियरजोन के अंतर्गत	नीम , खमेर , कालासिरिस, सिस्सू ,जंगल जलेबी, करंज, चिरोल, सफेदसिरिस, पीपलआदि	1050पौधे
2	उत्तरदिशामेंवनसीमाकीओर वृक्षारोपण	नीम , खमेर , कालासिरिस, सिस्सू ,जंगल जलेबी, करंज, चिरोल , सफेदसिरिस, पीपलआदि	200 पौधे
3	परिवहनमार्ग के किनारे वृक्षारोपण	नीम, कदम्ब, खमेर, सिस्सू, पीपल, करंजआदि।	200 पौधे
4	निगारीग्राममेंस्थित शासकीय प्राथमिक शालामें वृक्षारोपण	पुत्रंजीवा, मोलश्री, सिस्सू, कदम्ब, बरगद, पीपल, कचनार, नीम, चिरोलआदि	120 पौधे
5	आगनबाड़ीकेंद्रमानेगांवमें वृक्षारोपण— 30 नग	आमला, आम, अमरुद,, जामुन, हाइब्रिडमुनगाआदि।	30 पौधे
6	पास के गांवमेंपौधेकावितरण	आमला, सीताफल, आम, अमरुद, अनार, कटहल , जामुन, हाइब्रिडमुनगाआदि।	2500 पौधे
			1270

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त शर्ती के अधीन परियोजना की पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

14. <u>Case No 8985/2022 Shri Manoj Sharma, Project Proponent, M/s MANDHPUR METAL STONE QUARRY, 183, Futera Ward No. 02, Nira Narsingh Mandir Damoh (M.P.) Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 1.330 ha. (20001 Cum per annum) (Khasra No. 155/4), Village - Mandhpur, Tehsil - Bakaswaha, Dist. Chhatarpur (MP)</u>

प्रस्तावित खदान का दिनांक 18/10/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री मनोज शर्मा एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री संचित कुमार, मेसर्स कांग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्रा.लि., नोएडा, उ.प्र. द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक,	Shri Manoj Sharma, Project Proponent, M/s MANDHPUR METAL	
परियोजना / कम्पनी	STONE QUARRY, 183, Futera Ward No. 02, Nira Narsingh Mandir	
का नाम व पता	Damoh (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल	155/4 (निजी–नॉन फॉरेस्ट लेंड परियोजना 1.330 hectare.	
(सरकारी / निजी)	प्रस्तावक स्वयं की)	
स्थल	Village Mandhpur Tehsil Buxwaha District Chhatarpur (M.P.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के पत्र क्रमांक 2650	
	दिनांक 10 / 08 / 21 के द्वारा स्वीकृत ।	
श्रेणी (बी-1 / बी-2)	बी—1	
टॉर	सिया के पत्र कमांक 3365 दिनांक 17/03/22 के द्वारा पत्थर—20,001 के	
	लिए टॉर जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा	
	ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
नया / क्षमता विस्तार	नया प्रोजेक्ट, दिनांक 10/08/2021 को लीज स्वीकृत प्रकरण डिया से	
	संबंधित नही।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर—20,001 घनमीटर / वर्ष हेतु आवेदन किया	
	गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार पत्थर—20,001	
	घनमीटर / वर्ष है ।	
500 मीटर की परिधि में	\ / J - 1	
अन्य खदानें	क्रमांक 1176 दिनांक 09/05/22 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 03	
	अन्य खदानें संचालित / स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 06.646 हे. होता	
	है, अतः प्रकरण बी–1 श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी की	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
अनापत्ति	क्रमांक 1176 दिनांक 09/05/22 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में	
	नेशनल पार्क / अभ्यारण्य / ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250	

	मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की	
अनापत्ति	कमांक 1176 दिनांक 09/05/22 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव
	बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के
	स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/
	संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा
	संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप
	डैम / नहर / ग्रामीण कच्चा / पक्का रास्ता / नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम	ग्राम पंचायत मुडिया जिला छतरपुर के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक—3. दिनांक
पंचायत की अनापत्ति	16/04/21 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई
	आपित्त नहीं है ।
जन सुनवाई	जन सुनवाई के दौरान प्राप्त आपत्तियाँ / सुझावों को पर्यावरणीय प्रबंधन
	योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट	\ /
की स्थिति	दिनांक 07/01/21 अनुसार उक्त उत्खनिपट्टा में संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण
	(उत्खनिपट्टा संचालन) हो जाने के उपरांत नवीन डिस्ट्रिक सर्वे रिपोर्ट में
	उक्त खदान सम्मिलित कर लिया जावेग ।
	समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण
	समाघाँत निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक
	29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 — जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक
	04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी
	पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु
	सिया को अनुशंसित किया जाये ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तो एवं संलग्नक—ए अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तो के साथ पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

- 1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर—20,001 मी³ प्रति वर्ष।
- 2. लीज क्षेत्र में कशर स्थापित नहीं किया जावेगा।
- 3. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 13.48 लाख एवं रिकृरिंग राशि रू. 06.05 लाख प्रति वर्ष।
- 4. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 01.00 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01/02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.ई.आर मद में प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रू0. में)
परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम मांधपुर में पंजीकृत गौ–शाला के अधोसंरचना विकास में	1,00,000

सहयोग हेतु पक्की बाउंड्री वाल के निर्माण के लिए 1,00,000 रुपये की राशि ग्राम पंचायत के माध्यम से भू — प्रवेश के तीन माह के अंदर दी जावेगी ।

5. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख—रखाव के साथ) कम से कम 1600 वृक्षों का वृक्षारोपण :—

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन	आंवला, आम, मुनगा, नीम खमेर, नींबू, हर्रा, बहेडा, जामुन एवं करंज एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ। गड्ढे का आकार 70 70 र0 से.मी.	700
2	परिवहन मार्ग (न्यूनतम ऊँचाई 01 मीटर)	नीम, पीपल, कचनार, करंज, चिरोल एवं अन्य स्थानीय प्रजातीय । ट्री–गार्ड के साथ।	100
3	मांधपुर ग्राम वासियों मे वितरण हेतु	आंवला, आम, मुनगा, कटहल, इमली, अमरूद, पपीता, नींबू, हर्रा, बहेडा, जामुन एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	800
		कुल	1600

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त शर्ती के अधीन परियोजना की पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

15. <u>Case No 10565/2023 Shri KULDEEP LODHI, Lessee, R/o-Village- Jodhpur, Tilwara, Jabalpur, District- Jabalpur (M.P.), Prior Environment Clearance for Rampur Naktia Murrum Quarry in an area of 3.47 ha. (16771 cum per year) (Khasra No. 134P, 135P), Village-Rampur Nakatia, Tehsil-Jabalpur, District-Jabalpur (MP)</u>

प्रस्तावित खदान का दिनांक 18/10/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री कुलदीप लोधी एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री राम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी, बडौदा, गुजरात द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी का नाम व पता	Shri KULDEEP LODHI, Lessee, R/o-Village- Jodhpur, Tilwara, Jabalpur, District- Jabalpur (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	134(P), 135(P) (सरकारी —नॉन फॉरेस्ट 3.47 hectare.	

स्थल	Village -Rampur Naktia, Tehsil- Jabalpur, District- Jabalpur (M.P.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (ख्निज शाखा) जिला जबलपुर के पत्र कमांक 4017	
	दिनांक 06/02/23 के द्वारा स्वीकृत ।	
श्रेणी (बी-1 / बी-2)	बी—2	
ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है।	
नया / क्षमता विस्तार	नया प्रोजेक्ट, दिनांक 06/02/2023 को लीज स्वीकृत प्रकरण डिया से	
	संबंधित नही।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा मुरूम—16,771 घनमीटर / वर्ष हेतु आवेदन किया	
	गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार मुरूम—16,771 घनमीटर / वर्ष	
	है।	
500 मीटर की परिधि में	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के एकल प्रमाण–पत्र	
अन्य खदानें	कमांक 528 दिनांक 13/07/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य	
	कोई खदानें संचालित / स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी—2 श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी की		
अनापत्ति	क्रमांक 528 दिनांक 13/07/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में	
	नेशनल पार्क / अभ्यारण्य / ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250	
	मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।	
तहसीलदार की	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के एकल प्रमाण–पत्र	
अनापत्ति	क्रमांक 528 दिनांक 13/07/23 अनुसार खदान से 380 मीटर पर पक्का	
	रास्ता एवं 10 मीटर पर कच्चा रास्थ स्थित है, शेष अन्य 500 मीटर की	
	परिधि में नहीं है ।	
ग्राम सभा/ ग्राम	ग्राम पंचायत ऐठाखेड़ा जिला जबलपुर के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक–11 दिनांक	
पंचायत की अनापत्ति	02/10/21 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई	
	आपित्त नहीं है ।	
वृक्षों की वर्तमान स्थिति	खदान क्षेत्र में 07 पेड़ है, जिन्हें काटा नही जावेगा ।	
गूगल इमेज अनुसार	उत्तर पश्चिम दिशा— 165 मीटर पर एक—दो मकान है ।	
वर्तमान स्थिति	दक्षिण एवं पश्चिम दिशा— 145 मीटर पर एक—दो मकान है।	
	पश्चिम दिशा— 80 मीटर पर कच्चा रोड़ ।	
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट	·	
की स्थिति	अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.—53 के सरल क्रमांक—105	
	पर दर्ज है ।	
	<u> </u>	

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तो एवं संलग्नक–ए अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तो के साथ पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता मुरूम—16,771 मी³ प्रति वर्ष।

- 2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 10.58 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 02.21 लाख प्रति वर्ष।
- 3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.30 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01/02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.ई.आर मद में प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रू०. में)
ग्रमराम पुरन कतिया में स्थित प्राथमिक शाला में पुताई कार्य व शाला संभंधित वस्तुए प्रदान की जावेगी	30,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख—रखाव के साथ) कम से कम 4165 वृक्षों का वृक्षारोपण :—

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	उत्खनिपट्टे के बैरियरजोन के अंतर्गत	स्थानीय पौधों की प्रजातियांजैसे:-नीम , खमेर, कालासिरिस, सिस्सू ,जंगल जलेबी, करंज, चिरोल , सफेदसिरिस, पीपलआदि	800पौधे
2	परिवहनमार्ग के किनारे वृक्षारोपण	स्थानीय पौधों की प्रजातियांजैसेः— स्थानीय पौधों की प्रजातियांजैसः—करंज, पीपल, बरगद, पुतरंजीवा, महुआ,कदम्बइत्यादि।	130 पौधे
3	शासकीय शाला रामपुरनकतिया के परिसरमें	स्थानीय पौधों की प्रजातियांजैसे:—पुत्रंजीवा, मोलश्री, सिस्सू, कदम्ब, बरगद, पीपल, कचनार, नीम, चिरोलआदि	50पौधे
4	ग्रामरामपुरनकतियामेस्थितआंगनबाड़ीपि रसरमें	स्थानीय पौधों की प्रजातियांजैसेः—नीम, सिस्सू, करंज,पीपल, कदम्ब, चिरोल, पाकर्,आदि।	50 पौधे
5	पास के गांवमेंपौधेकावितरण	स्थानीय पौधों की प्रजातियांजैसेः—नीम, सिस्सू, करंज,पीपल, कदम्ब, चिरोल, पाकर्,आदि।	3200 पौधे
6	उत्खनिपष्टे के बैरियरजोन के अंतर्गत	स्थानीय पौधों की प्रजातियांजैसे:-नीम , खमेर , कालासिरिस, सिस्सू ,जंगल जलेबी, करंज, चिरोल , सफेदसिरिस, पीपलआदि	800 पौधे
		कुल	4200

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त शर्तो के अधीन परियोजना की पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

16. Case No 10576/2023 Shri Ashish Malviya, Owner, Village-Pati, Tehsil-Pati, District-Barwani (MP)-451551, Prior Environment Clearance for Osada Crusher Stone Quarry in an area of 2.50 ha. (20000 cum per year) (Khasra No. 472), Village-Osada, Tehsil-Pati, District-Barwani (MP) (DEIAA to SEIAA)

प्रस्तावित खदान का दिनांक 18/10/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री आशीष मालवीय एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अंकुर शर्मा, मेसर्स कांग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्रा.लि., नोएडा, उ.प्र. द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक,	Shri ASHISH MALVIYA, Owner, Village-Pati, Tehsil- Pati District	
परियोजना / कम्पनी का नाम व पता	Barwani (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	472 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लेंड)	2.500 hectare.
स्थल	ग्राम Osada तसहील Pati जिला Barwani ((म.प्र.)
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बंड़वानी के पत्र क्रमांक 167 दिनांक 22 / 02 / 19 के द्वारा स्वीकृत ।	
श्रेणी (बी-1 / बी-2)	बी-2	
ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
नया / क्षमता विस्तार	नया प्रोजेक्ट, दिनांक 22/02/2019 को लीज स्वीकृत तथा खदान क्षेत्र	
	की गूगल इमेज में खनन कार्य परिलक्षित नहीं है।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर—20,000 घनमीटर / वर्ष हेतु आवेदन किया	
	गया है और अनुमोदित खनन् र घनमीटर ⁄ वर्ष है।	गोजना अनुसार पत्थर—20,000
डिया ई.सी. का विवरण	डिया बड़वानी के पत्र क्रमांक 63	दिनांक 26/09/18 के द्वारा
(यदि लागू हो)	पत्थर—20,000 घनमीटर / वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है ।	
500 मीटर की परिधि में	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिल	ग बड़वानी के एकल प्रमाण–पत्र
अन्य खदानें	कमांक 1763 दिनांक 28/02/23 अनुस	
	कोई खदानें संचालित / स्वीकृत नहीं है, अ	
वन मण्डलाधिकारी की	,	•
अनापत्ति	कमांक 1763 दिनांक 28/02/23 अनुर	
	नेशनल पार्क / अभ्यारण्य / ईको सेंसेटिव	जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250
	मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।	
तहसीलदार की	(
अनापत्ति	कमांक 1763 दिनांक 28 / 02 / 23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव	

	बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के
	रमारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/
	संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा
	संस्थान एवं जलीय निकाय / नदी / तालाब / बांध / स्टॉप
	डैम / नहर / ग्रामीण कच्चा / पक्का रास्ता / नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम	परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रामसभा का ठहराव प्रस्ताव अपलोड नहीं किया
पंचायत की अनापत्ति	गया है, जिसे प्रस्तुतीकरण के दौरान प्राप्त लिया जाना होगा ।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की
की स्थिति	अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.—24 के सरल कमांक—47
	पर दर्ज है ।

यह प्रकरण डिया द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के री—एपराईजल हेतु प्राप्त हुआ है। परियोजना प्रस्तावक एवं उनके सलाहकार द्वारा दिया गया प्रस्तुतीकरण पूर्ण नहीं पाया गया। अतः समिति द्वारा पुनः निम्न बिन्दुओं पर जानकारी एवं आवश्यक दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिये गये।

- 1. Copy of Form-I
- 2. Land status/P2:
- 3. Area & Location with Khasra no:
- 4. Current Ekal Praman Patra
- 5. Status of Eco-Sensitive Zone (mentioned in Old & new Ekal Praman Patr/SEIAA Proposal/DEIAA EC)
- 6. Production capacity and year wise production details, in tabular form till today:
- 7. OB Dump and waste management with facts and figures:
- 8. Top soil management with soil profile:
- 9. Detail of old Environment Clearance with validity period:
- 10. EC transfer details (if any), old EC no.....date.....
- 11. Lease agreement details with compliance of LRC provisions
- 12. Water requirement (KLD):
- 13. Green Area: in hac. & Number of plants to be planted (Proposed)
- 14. No of trees & tree felling total tree inventory with photos:
- 15. Work Done under CER with coordinates, photos & verifiable proof:
- 16. Compliance of EC conditions (EC granted by DEIAA):
 - Tree plantation (Target/compliance/ Photographs)
 - GPS Photo graphs of at least 25% plantation for the proposed plantation.
 - Fencing work (Polygon with GPS photos showing complete fencing in total periphery)
 - GPS Photo graphs of Garland drains length & number & size of settling tanks
 - Detail of plants distribution with list: name of villager's, mobile number, number of plants name of village.
 - Verifiable proof of CER
- 17. Drone photograph of 500 m radius of proposed area.
- 18. Carbon footprint.

- 19. Compliance of water/ air consents issued by MPPCB.
- Note: 1. Form-I should tally with presentation (PPT) figures
 - 2. Furnished data should be supported with Geo-tagged photographs.
- 3. Surface plan should include over burden storage and details of crusher location (established/to be established) with all norms.
- 17. Case No 8577/2021 Shri Arvind Pateriya, Lessee, M/s MAJHGUWAN STONE MINE, Ward No. 23, Choubey Colony, Dist. Chhatpur, MP 471001, Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 4.0 ha. (1,00,000 cum per annum) (Khasra No. 1), Village Majhguwan, Tehsil Rajnagar, Dist. Chhatarpur (MP) (EIA Presentation)

प्रस्तावित खदान का दिनांक 18/10/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री अरविंद पटैरिया एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरीज इंनवायरोटेक इंडिया प्रा. लि. लखनऊ द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज		
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी का नाम व पता	Shri Arvind Pateriya, Lessee, M/s MAJHGUWAN STONE MINE OF SHRI ARVIND PATERIYA, Ward No 23, Choubey Colony Chhatarpur (M.P.)		
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	1 (सरकारी —नॉन फॉरेस्ट लेंड) 4.00 hectare.		
स्थल	Village – Majhguwan, Tehsil-Rajnagar, Distric	t–Chhatarpur (M.P.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छ	तरपुर के पत्र कमांक 224	
	दिनांक 19/01/21 के द्वारा स्वीकृत ।	-	
श्रेणी (बी-1 / बी-2)	बी—1		
टॉर	सिया के पत्र क्रमांक 2215 दिनांक 04 / 10 / 21 के द्वारा पत्थर—1,00,000		
	घनमीटर / वर्ष के लिए टॉर जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना		
	प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष	प्रस्तुत की गई है ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्त	गवित है ।	
नया / क्षमता विस्तार	नया प्रोजेक्ट, दिनांक 19/01/2021 को लीज स्वीकृत प्रकरण डिया से		
	संबंधित नही।		
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर—1,00,000 घनमीटर / वर्ष हेतु आवेदन		
	किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार पत्थर—1,00,000		
	घनमीटर / वर्ष है।		

500 मीटर की परिधि में	1
अन्य खदानें	दिनांक 31/03/21 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 04 अन्य खदानें
	संचालित / स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 23.450 हे. होता है, अतः
	प्रकरण बी—1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की	1 '
अनापत्ति	20 / 01 / 21 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क / अभ्यारण्य
	/ ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित
	नहीं है ।
तहसीलदार की	1
अनापत्ति	कमांक 702 दिनांक 08/02/21 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव
	बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के
	स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/
	संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा
	संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/बांध/स्टॉप
	डैम / नहर / ग्रामीण कच्चा / पक्का रास्ता / नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम	ग्राम पंचायत मझगुवां जिला छतरपुर के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक–3 दिनांक
पंचायत की अनापत्ति	24/12/20 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई
	आपित्त नहीं है ।
जन सुनवाई	जन सुनवाई के दौरान प्राप्त आपत्तियाँ / सुझावों को पर्यावरणीय प्रबंधन
	योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की
की स्थिति	अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.—45 के सरल कमांक—47
	पर दर्ज है ।
<u> </u>	

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तो एवं संलग्नक—ए अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तो के साथ पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

- 1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता स्टोन 1,00,000 मी³ प्रति वर्ष।
- 2. लीज क्षेत्र में कृशर स्थापित नहीं किया जावेगा।
- 3. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 25.03 लाख एवं रिक्ररिंग राशि रू. 07.27 लाख प्रति वर्ष।
- 4. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 01.00 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01/02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.ई.आर मद में प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रू०. में)
ग्राम मझगुवां के शासकीय प्राथमिक विद्यालय में एक कंप्यूटर, एक प्रिंटर एवं एक टेबल के	रू 40,000 ∕ −

साथ एक चेयर की व्यवस्था की जाएगी।	
खदान प्रबंधक द्वारा उज्ज्वला योजना के तहत ग्राम मझगुवां के 06 लोगों को 06 सिलिंडर 5000/-रुपये की व्यवस्था की जाएगी।	रू 30,000 ∕ −
ग्राम मझगुवां में मवेशियों का टीकाकरण, स्वास्थ्य परीक्षण की व्यवस्था की जाएगी एवं ग्राम मझगुवां के ग्रामवासियों हेतु मौखिक स्वच्छता, मधुमेह और रक्तचाप के लिए जागरूकता शिविर का आयोजन किया जायेगा।	रू 30,000 ∕ −

5. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 4800 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन	शीशम, पीपल, करंज, सेमल, नीम, चिरोल, बबूल, खमेर और उपलब्ध देशी प्रजातियाँ।	1890
2	मझगुवां के शासकीय प्राथमिक विद्यालय में।	कचनार, कदम्ब, करंज, अशोक, अमलतास, नीम, गुलमोहर इत्यादि।	10
3	बंसरई, किशोरगंज, घुरा, रामपुरा और जंगीपुरा गांव के ग्रामवासियों में वितरण हेतु।		2400
4	एप्रोच रोड के दोनों ओर वृक्षारोपण हेतु।	बरगद, चिरोल, नीम, पीपल, करंज, और उपलब्ध देशी प्रजातिया।	200
5	चारागाह के विकास हेतु	चारागाह हेतु फोडर ट्रीज ग्राम पंचायत के माध्यम से लगाए जायेंगे।	300
		कुल	4800

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त शर्तो के अधीन परियोजना की पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

18. Case No 8982/2022 Shri Sudhanshu Gupta, lease Owner, M/S S.R. MINING AND INFRASTRUCTURE, 2382 right Town Tehsil& Distt. Jabalpur (M.P.), Prior Environment Clearance for Stone & Murrum Quarry in an area of 3.60 ha. (Stone - 150000 Cum per annum, Murrum - 21430 Cum per annum) (Khasra No. 86 (Part)), Village-Dhadhara, Tehsil- Jabalpur, District- Jabalpur (M.P.)-EIA

प्रस्तावित खदान का दिनांक 18/10/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री सुधांशु गुप्ता एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरीज इंनवायरोटेक इंडिया प्रा. लि. लखनऊ द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज		
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी का नाम व पता	Shri Sudhanshu Gupta, lease Owner, M/S S.R. MINING AND INFRASTRUCTURE, 2382 right Town Tehsil& Distt. Jabalpur (M.P.)		
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	86 (P) (सरकारी —नॉन फॉरेस्ट लेंड) 3.60 hectare.		
स्थल लीज स्वीकृति	Village-Dhadhara, Tehsil- Jabalpur, District- Jabalpur (M.P.) कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के पत्र क्रमांक 2009 दिनांक 30 / 06 / 21 के द्वारा स्वीकृत ।		
श्रेणी (बी—1 / बी—2) टॉर	बी—1 सिया के पत्र क्रमांक 3363 दिनांक 17/03/22 के द्व पत्थर—1,50,000 घनमीटर/वर्ष एवं मुरूम—21,430 घनमीटर/वर्ष के लिए टॉर जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।		
ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर नया / क्षमता विस्तार	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है । नया प्रोजेक्ट, दिनांक 30/06/2021 को लीज स्वीकृत प्रकरण डिया से संबंधित नहीं।		
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर—1,50,000 घनमीटर / वर्ष एवं मुरूम—21,430 घनमीटर / वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना पत्थर—1,50,000 घनमीटर / वर्ष एवं मुरूम—21,430 घनमीटर / वर्ष है।		
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें			
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के प्रमाण-पत्र क्रमांक 3226 दिनांक 16/11/21 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र नहीं और वन कक्ष क्रमांक ओ. 468 से 19.6 मीटर की दूरी पर स्थित होने से प्रकरण को आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में गठित वन सीमा से 250 मीटर की परिधि में आने वाले प्रकरणों के निराकरण हेतु गठित समिति के समक्ष प्रस्तुत कर		

	दिनांक 14/12/20 को खदान स्वीकृति हेतु अनुशंसा प्राप्त की गई है ।	
तहसीलदार की	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के प्रमाण-पत्र कमांक	
अनापत्ति	3226 दिनांक 16 / 11 / 21 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट,	
	शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक,	
	रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/	
	संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा	
	संस्थान एवं जलीय निकाय / नदी / तालाब / बांध / स्टॉप	
डैम / नहर / ग्रामीण कच्चा / पक्का रास्ता / नाला नहीं है ।		
ग्राम सभा / ग्राम ग्राम पंचायत तिखारी जिला जबलपुर के टहराव प्रस्ताव क्रमांक—4 र्र		
पंचायत की अनापत्ति	निरंक अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपित्त	
	नहीं है ।	
जन सुनवाई	जन सुनवाई के दौरान प्राप्त आपत्तियाँ / सुझावो पर्यावरणीय प्रबंधन योजना	
	/ सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।	
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की	
की स्थिति अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.—51 के		
	कमांक-102 पर दर्ज है ।	

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तो एवं संलग्नक–ए अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तो के साथ पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:–

- अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर–1,50,000 घनमीटर / वर्ष एवं मुरूम–21,430 घनमीटर / वर्ष।
- 2. लीज क्षेत्र को चेनलिंक फेन्सिंग के माध्यम से कवर किया जावे।
- 3. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 18.68 लाख एवं रिकृरिंग राशि रू. 05.69 लाख प्रति वर्ष।
- 4. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 01.20 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 / 02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.ई.आर मद में प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रू०. में)
ग्राम धाधरा के स्कूल पालक शिक्षक संघ के खाते में परियोजना प्रस्तावक द्वारा भू प्रवेश के तीन महीने के अंदर राशि जमा करवाया जावेगा ।	Rs. 35,000/-
परियोजना प्रस्तावक द्वारा भूप्रवेश के तीन महीने के अंदर ग्राम धाधरा, में एक नया हैंड पंप व उसके चारो तरफ चबूतरा बनवाकर रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट की स्थापना करवाई जाएगीं।	Rs. 60,000/-
परियोजना प्रस्तावक द्वारा भूप्रवेश के तीन महीने के अंदर ग्राम पंचायत धाधरा, के खाते में	Rs. 25000/-

पक्का ग्रामीण सड़क की मरम्मत के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।

5. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख—रखाव के साथ) कम से कम 4320 वृक्षों का वृक्षारोपण :—

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन	सिस्सू , नीम, पीपल , खमेर , चिरौल, करंज आदि उपलब्ध देशी प्रजातियां	1000
2	एप्रोच रोड के दोनों ओर वृक्षारोपण हेतु	नीम, पीपल, सिस्सू, बरगद , कदम अन्य स्थानीय प्रजातियाँ,	120
3	टिकारी, धधरा, कुर्सी, गोकलपुर, चरगावां, और रामपुर नकटिया गांव के घरों में पेड़ों का वितरण किया जाएगा।	बेल, इमली, आंवला, कटहल, आम, अमरूद, रूद्राक्ष, अशोक मुनगा इत्यादि।	2950
4	ग्राम गोकलपुर के शासकीय विद्यालय।	कदंब, अमलतास, अशोक, नीम, पुतरंजीवा, मोलश्री, गुलमोहर इत्यादि।	50
5	50 मीटर तक वन सीमा से बफर जोन	शीशम, नीम, पीपल, बरगद, खमेर, चिरौल, सीताफल, और उपलब्ध देशी प्रजातियाँ।	200
		कुल	4800

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त शर्ती के अधीन परियोजना की पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

19. Case No 9640/2023 Shri Vijay Pratap Singh Kushwah S/o Satendra Pratap Singh Kushwah, Partner, M/s Gwalior Stone Industries, 201, Millenium Plaza, Govindpuri, Govindpuru University Road, (MP)-474011, Prior Environment Clearance for Khedaviran Quartz and Silica Sand Mine in an area of 9.40 ha. (170000 Cum per annum) (Khasra No. 141), Village- Khedaviran, Tehsil-Dabra, District-Gwalior (MP) (EIA Presentation)

प्रस्तावित खदान का दिनांक 18/10/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री वितय प्रताप सिंह एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरीज इंनवायरोटेक इंडिया प्रा. लि. लखनऊ द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

SN	Projects Details
----	------------------

1.	Name of the project / Company / Organisation	Prior Environment Clearance for Khedaviran Quartz and Silica Sand Mine in an area of 9.40 ha. (1,70,000 Cum per annum) (Khasra No 141), Village- Khedaviran, Tehsil-Dabra, District-Gwalior (MP) [413940]			
2.	Name of the Applicant and Address	Shri Vijay Pratap Singh Kushwah S/o Satendra Pratap Singh Kushwah, Partner, M/s Gwalior Stone Industries, 201, Millenium Plaza, Govindpuri, Govindpuru University Road, (MP)-474011, E-mail-vijaypratap05454@gmail.com, Mobile-9826232805.			
3.	Proposal No	SIA/MP/MIN/442577/2023.			
4.	Project Cost	35 Lakhs.			
5.	Proposed ToR	ToR Recommended in 624 th SEAC M	leeting Dat	ted 26/02/2023.	
6.	EC Status (Fresh/ Exp.)	Fresh			
7.	Khasra No. / Lease Area (Govt. or Private)	Khasra No. – 141, 9.40 Ha	•	Pvt. Land.	
8.	Location of Project	(Kh No. 141), Village- Khedaviran, Tehsil-Dabra, District-Gwalior (MP)			
9.	Production Quantity in m3/year	Silica Sand – 120000 Cubic Met Meter/Year			
10.	Range of ground water table (post monsoon)	-		र्टल में ग्राउण्ड वाटर टेवल का हीं दर्शाया है।	
11.	CGWA / G S NOC	Undertaking: : letter dated			
		Documentary Details			
12.	M.O. Certificate (within 500 Meter details)/ Ekal Praman Patra.	Collector Office Letter (Ekal Patra) No. 12410 date 21/12/22.	Praman	Ok. 01 more mine Total Area – 14.760 ha.	
13.	Lease Sanction Order/ Agreement / LoI	Lease Transfer Order No. 10195 of 29/07/2022.	late	Ok	
14.	Tehsildar Certificate	Collector Office Letter (Ekal Patra) No. 12410 date 21/12/22.	Praman	Ok	
15.	DFO NOC	Collector Office Letter (Ekal Patra) No. 12410 date 21/12/22.	Praman	Ok	
16.	Gram Sabha Tharav Prastav/ NOC (GP).	No. – 02 dated 22/01/2021.		Ok	
17.	Khasra Panchshala (P-II form).	Kh No. – 141,		Ok	
18.	Production Quantity as per Approved Mining Plan	Silica Sand – 120000 Cubic Meter Quartz & 50,000 Cubic Meter/Year		Ok Page No23.	
19.	Env. Consultant: : Aserie	es Envirotek India Pvt Ltd is hereby extended till Feb 28, 2023,.			
20.	DSR	उक्त खदान नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में जोडी जावेगी। समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 — जारी पत्र क्रमांक			

		1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए		
		प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये।		
21.	PFR	Ok	Ok	
22.	EMP	Ok	Ok	
23.	Replenishment Study	NA		
24.	No. of tree saplings to be	No.		
	planted.			
25.	Risk Assessment	Ok	Ok	
26.	Google image status – Cordinates as per Mine Plan Page No. – 3			

प्रस्तुतीकरण के पश्चात् परियोजना प्रस्तावक से निम्न बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण / जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए :-

- 1. पुनरीक्षित वृक्षरोपण योजना ।
- 20. Case No 9495/2022 Shri Tarique Khan, M/s Lalpur Granite Deposit, R/o Khasra No.-139, 137/1, 137/2, Village- Lalpur, Tehsil- Rajnagar, District- Chhattarpur (MP)

 Prior Environment Clearance for Lalpur Granite Deposit in an area of 2.80 ha.

 (Granite Deposit 2001 Cum per annum and 11343 Cum per annum) (Khasra No. 165, 166, 171 (old 139, 137/1, 137/2)), Village Lalpur, Tehsil Rajnagar, Dist. Chhatarpur (MP) (EIA Presentation)

प्रस्तावित खदान का दिनांक 18/10/23 को परियोजना प्रस्तावक Shri Tarique Khan एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरीज इंनवायरोटेक इंडिया प्रा. लि. लखनऊ द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज		
परियोजना प्रस्तावक, Shri Tarique Khan, Lease Owner,M/s LALPUR GRANITE प्रियोजना / कम्पनी Village- Lalpur, Tehsil- Rajnagar, District- Chhattarpur (M.P.) का नाम व पता			
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	165, 166, 171 (old 139, 137/1, 137/2) 2.8 0 hectare. (सरकारी —नॉन फॉरेस्ट लेंड)		
स्थल	Village- Lalpur, Tehsil- Rajnagar, District- Chhatarpur (M.P.)		
लीज स्वीकृति	संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म, म.प्र. के पत्र क्रमांक 9646 दिनांक		
	15 / 09 / 20 के द्वारा स्वीकृत ।		
श्रेणी (बी-1 / बी-2)	बी—1		

टॉर	सिया के पत्र क्रमांक 2710 दिनांक .30/01/23 के द्व ग्रेनाइट—2,001
	घनमीटर / वर्ष एवं वेस्ट रिजेक्ट—11,343 घनमीटर / वर्ष के लिए टॉर जारी
	किया गया है, जिसके अनुसार परियोजन प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट
	समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।
ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।
नया / क्षमता विस्तार	नया प्रोजेक्ट, दिनांक 15/09/2020 को लीज स्वीकृत प्रकरण डिया से
	संबंधित नही।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रेनाइट—2,001 घनमीटर / वर्ष एवं वेस्ट
	रिजेक्ट—11,343 घनमीटर⁄वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित
	खनन् योजना अनुसार ग्रेनाइट—2,001 घनमीटर⁄वर्ष एवं वेस्ट
	रिजेक्ट—11,343 घनमीटर / वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में	
अन्य खदानें	दिनांक 30/07/21 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 04 अन्य खदानें
	संचालित / स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 36.650 हे. होता है, अतः
	प्रकरण बी—1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की	कार्यालय समान्य, वन मण्डल छतरपुर के पत्र क्रमांक 4360 दिनांक
अनापत्ति	13/10/21 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल
	पार्क / अभ्यारण्य / ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में
	वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की	न्यायालय नायब तहसीलदार ललपुर, तहसील राजनगर, जिला छतरपुर के
अनापत्ति	पत्र कमांक 86 दिनांक 23/07/21 अनुसार 500 मीटर की परिधि में
	मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय
	महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/ सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय
	राजमार्ग / संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा,
	प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांघ/स्टॉप
	डैम / नहर / ग्रामीण कच्चा / पक्का रास्ता / नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम	ग्राम पंचायत ललपुर जिला छतरपुर के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक–13 दिनांक
पंचायत की अनापत्ति	10 / 05 / 17 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई
	आपित्त नहीं है ।
जन सुनवाई	जन सुनवाई के दौरान प्राप्त आपत्तियाँ / सुझावों पर्यावरणीय प्रबंधन योजना
	/ सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट	
की स्थिति	अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.—210 के सरल
	क्रमांक-99 पर दर्ज है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तो एवं संलग्नक–ए अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तो के साथ पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

- अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता ग्रेनाइट–2,001 घनमीटर / वर्ष एवं वेस्ट रिजेक्ट–11,343 घनमीटर / वर्ष ।
- 2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 16.74 लाख एवं रिकृरिंग राशि रू. 04.90 लाख प्रति वर्ष।
- 3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 01.30 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01/02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.ई.आर मद में प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रू0. में)
परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत के माध्यम से एक हैंड पम्प दिया जायेगा और हैंडपंप के चारो तरफ चबूतरा बनवाकर रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट की स्थापना की जाएगी।	₹ 70,000/-
ग्राम ललपुर के स्कूल पालक शिक्षक संघ के खाते में परियोजना प्रस्तावक द्वारा भू प्रवेश के तीन महीने के अंदर राशि जमा करवाया जावेगा ।	₹ 60,000/-

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अविध तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 3360 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन	शीशम, पीपल, करंज, सेमल, नीम, चिरोल, बबूल और उपलब्ध देशी प्रजातियाँ।	1200
2	ललपुर के शासकीय प्राथमिक विद्यालय में	कचनार, कदंब, करंज, अशोक, अमलतास, नीम, गुलमोहर इत्यादि।	10
3	ललपुर, नन्द, तालगांव, किसनपुर गांव के ग्रामवासीयों में वितरण हेतु	बेल, इमली, अमरूद, बेर, आंवला, आम, सीताफल, मुनगा, अन्य स्थानीय फल देने वाली प्रजातिया।	2050
4	अप्रोच रोड के दोनों ओर वृक्षारोपण हेतु	बरगद, चिरोल, नीम, पीपल, करंज, और उपलब्ध देशी प्रजातियाँ।	100

कुल

3360

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त शर्ती के अधीन परियोजना की पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

21. Case No 9459/2022 M/s Pranavi Enterprises, Prop. Shri Pranya Kumar Singh R/o 354, 3rd Floor, Lekhraj Khajana, Indira Nagar, Lucknow (UP)-226016, Prior Environment Clearance for Pyrophyllite and Diaspore Mine in an area of 3.00 ha. (39330 TPA) (Khasra No. 79/2), Village - Kakaoni, Tehsil - Prithvipur, Dist. Niwari (MP)

प्रकरण समिति की पूर्व 612वीं बैठक दिनांक 15 / 12 / 22 को प्रस्तुतीकरण हुआ था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश—देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार प्रकरण के विवेचना के दौरान पाया गया कि --

- ✓ ऑनलाईन अपलोडेड गूगल इमेज नहीं लोड हो रही है, अतः आवंटित खनन् क्षेत्र की वास्तविक स्थिति का पता नहीं चलता है । प्रस्तुतीकरण के दौरान पिरयोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत की गई गूगल इमेज अनुसार खदान के पूर्वी दिशा में आबादी है जिसके संदर्भ में पिरयोजना प्रस्तावक ने बताया कि यह अवैध कब्जा है । इसी प्रकार तहसीलदार के पत्र दिनांक 02/05/17 के अनुसार भी आवेदित क्षेत्र से मानव बसाहट एवं स्कूल प्राथमिक शाला लगभग 100 मीटर की दूरी पर स्थित है। समिति चर्चा उपरांत अनुशंसा की कि पिरयोजना प्रस्तावक आबादी के संरक्षण हेतु योजना, कितने मकान हैं एवं आर एण्ड आर प्रस्तावित है तो उसकी योजना प्रस्तुत करें ।
- ✓ ऑनलाईन अपलोडेड खनन् योजना अनुसार खनन् के दौरान ब्लास्टिंग प्रस्तावित की गई है जबिक परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि पूर्व दिशा में स्थित आबादी के कारण खनन् कार्य ब्लास्टिंग के स्थान पर रॉक ब्रेकर के माध्यम से करेंगे, अतः इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक शपथ—पत्र प्रस्तुत करें ।
- ✓ फार्म—2 के सरल क्रमांक—14.6 (a) Range of Water Table Pre-Monsoon Season (Meters Below Ground Level (m bgl)) From 25 To 30 जबिक b)Range of Water Table Post-Monsoon Season (Meters Below Ground Level (m bgl)) From 4 To 5 उल्लेखित है जो उचित प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि फार्म—2 के सरल क्रमांक—35 (11) में गहराई 08 मीटर दर्शाई गई है, अतः यदि पोस्ट मानसून वाटर लेवल 4 से 5 मीटर है तो ग्राउण्ड वाटर इंटरसेक्शन की संभवना होगी, अतः स्थिति स्पष्ट की जाये।
- ✓ फार्म—2 के सरल क्रमांक—16.1Waste Water Management(During Operation-Rainy Water उल्लेखित है, जिसमें खनन् के दौरान उत्पन्न होने वाले दृषित जल का विवरण देना चाहिए, अतः फार्म—2 सुधार कर प्रस्तुत करें ।
- √ फार्म—2 के सरल क्रमांक—17 Solid Waste Generation/Management की जानकारी में एम.एस.डब्लू. की जानकारी का विवरण भी देना चाहिए, अतः फार्म—2 सुधार कर प्रस्तुत करें ।
- √ वन मण्डलाधिकारी, टीकमगढ़ के पत्र क्रमांक 1465 दिनांक 22 / 03 / 22 के अनुसार आवेदित क्षेत्र वन सीमा से कक्ष क्रमांक पी 181 से 180 मीटर दूरी पर स्थित है, अतः संभागीय समिति की अनुशंसा प्रस्तुत करें।
- कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला टीकमगढ़ के पत्र क्रमांक 1607 दिनांक 27/09/2018 अनुसार खदान दिनांक 01/11/97 से स्वीकृत है तथा अनुमोदित खनन् योजना के बिंदु 3.3 (IV) अनुसार वर्ष 1992–93 से वर्ष 2016–17 तक 2885 मै.टन उत्पादन किया गया है, अतः स्पष्ट करें कि किस वर्ष तक

उत्पादन किया गया है एवं किस वर्ष से उत्पादन बंद है एवं आज दिनांक तक किये गये खनन् कार्य का विवरण तथा संबंधित खनिज अधिकारी की असेसमेंट रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी परिवेश पोर्टल पर दिनांक 06/01/23 को अपलोड कर दी गई है, जिसे सिमिति की पूर्व की 627वीं बैठक दिनांक 03/03/23 को रखा गया, जिसमें सिमिति ने चर्चा कर यह निर्णय लिया कि उपरोक्त संदर्भ में संबंधित खनन् अधिकारी/सक्षम प्राधिकारी से प्रतिवेदन/जानकारी प्राप्त कर प्रकरण पर आगामी कार्यवाही हेतु प्रस्तुत की जाये :-

- 1. खदान स्वीकृत क्षेत्र के पूर्वी क्षेत्र में 20—30 मकान है। परियोजना प्रस्तावक सक्षम प्राधिकारी से प्रतिवेदन / जानकारी प्राप्त कर यह बतायें कि ये मकान लीज क्षेत्र के अंदर है या लीज क्षेत्र के बाहर है यदि ये मकान (20—30) लीज क्षेत्र के अंदर है तो THE RIGHT TO FAIR COMPENSATION AND TRANSPARENCY IN LAND ACQUISITION, REHABILITATION AND RESETTLEMENT ACT, के तहत् सक्षम प्राधिकारी के स्तर से की गई कार्यवाही का विवरण दें।
- 2. चूंकि आबादी क्षेत्र लीज क्षेत्र से लगा हुआ है। अतः इसके संरक्षण योजना के तहत् नॉन माईनिंग एरिया छोडते हुये सरफेस मेप प्रस्तुत करे।

उपरोक्त जानकारी प्रस्तुत नहीं करने के कारण प्रकरण को समिति की 656वीं बैठक दिनांक 23/06/23 को डिलिस्ट करने की अनुशंसा की गई थी ।

प्रकरण को सिया ने रिलिस्ट कर परीक्षण हेतु समिति को प्रेषित किया है, जिसे समिति की पूर्व 674वीं बैठक दिनांक 02/09/23 को प्रस्तुतीकरण हुआ । समिति ने प्रकरण को परिक्षण उपरांत पाया कि यह प्रकरण समिति की पूर्व 612वीं बैठक दिनांक 15/12/22 को प्रस्तुतीकरण हुआ था एवं दोबारा समिति की 627वीं बैठक दिनांक 03/03/23 को पुनः प्रस्तुत किया गया । परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन योजना में ब्लास्टिंग का प्रस्ताव दिया हैं। परियोजना प्रस्तावक द्वारा संवेदनशीलता को दृष्टिगत रखते हुये नॉन ब्लास्टिंग प्रस्तावित किया गया है। ऐसे प्रकरणों में खनन योजना में भी संशोधन किया जाना होगा, ऐसा निर्णय सिया की बैठक क0. 797 दिनांक 01/08/2023 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया है "ऐसी अनुमोदित खनन योजना जिसमें ब्लास्टिंग प्रस्तावित है तथा परियोजना प्रस्तावक द्वारा नॉन—ब्लास्टिंग का शपथ—पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है उन प्रकरणों में नॉन—ब्लास्टिंग संकिया हेतु खनिज विभाग के सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित खनन योजना परियोजना प्रस्तावक द्वारा परिवेश पोर्टल पर आवेदन के साथ अनिवार्यतः संलग्न की जारें"।

चूंकि यह प्रकरण उक्त निर्देशों के पूर्व का था, अतः आज प्रस्तुतिकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा नॉन ब्लास्टिंग का शपथ पत्र जारी किया गया। अतः पी.पी. को यह अवगत कराया गया की वह खनन योजना में भी संशोधन करवाये तथा परीक्षण हेतु प्रकरण को पुनः प्रस्तुत करें।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा परिवेश पोर्टल पर उपरोक्त जानकारी अपलोड करने के कारण आज दिनांक 18/10/23 को प्रकरण प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध है, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री प्रणय कुमार सिंह और उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, (ऑनलाईन) मेसर्स एसीरिज इंवायरोटेक इंडिया प्रा.लि., नोयडा, (उ.प्र.) उपस्थित हुए।

परियोजना प्रस्तावक ने बताया गया कि इस प्रकरण के पूर्व पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमित सक्सेना, (ऑनलाईन) मेसर्स एपेक्स मिनटेक कांसल्टेंट, उदयपुर थें। मेरे द्वारा वर्तमान में श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरिज इंवायरोटेक इंडिया प्रा.लि., नोयडा, (उ.प्र.) को अधिकृत किया गया है जिसकी सूचना सिया/सेक को ई—मेल के माध्यम से सूचित किया गया हैं।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तो एवं संलग्नक–ए अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तो के साथ पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

- 1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता Pyrophyllite and Diaspore-39330 TPA.
- 2. पर्योवरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 18.65 लाख एवं रिक्रेरिंग राशि रू. 03.60 लाख प्रति वर्ष।
- 3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 01.30 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01/02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.ई.आर मद में प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रू०. में)
परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत के माध्यम से एक हैंड पम्प दिया जायेगा और हैंडपंप के चारो तरफ चबूतरा बनवाकर रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट की स्थापना की जाएगी।	रू 70,000 ∕ −
ग्राम ललपुर के स्कूल पालक शिक्षक संघ के खाते में परियोजना प्रस्तावक द्वारा भू प्रवेश के तीन महीने के अंदर राशि जमा करवाया जावेगा ।	रू 60,000 ∕ −

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख—रखाव के साथ) कम से कम 3660 वृक्षों का वृक्षारोपण :—

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन	नीम, बॉस, करंज, आम, सीताफल, खमेर, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	1560
2	परिवहन मार्ग	कदम्ब, कचनार, चिरोल, नीम, पीपल, आम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ ट्री गार्ड के साथ	200
3	ग्रामवासियों मे वितरण हेतु	इमली, आवंला, नीबू, बेल, आम, जामुन, कटहल, मुनगा, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	1500
4	ग्राम पंचायत भवन, शासकीय प्राथमिक शाला एवं शासकीय उप— स्वास्थ्य केन्द्र मे बाउण्ड्री वॉल की तरफ	कदम्ब, कचनार, चिरोल, नीम, पीपल, आम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ ट्री गार्ड के साथ	400

कुल

3660

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त शर्तो के अधीन परियोजना की पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

22. Case No 9831/2023 Shri Sachin Malviya, Lessee, R/o Bokarata, Tehsil-Pati, District-Barwani (MP)-488441, Prior Environment Clearance for Budi Stone Quarry in an area of 2.00 ha. (20,000 Cum per annum) (Khasra No. 216) Village-Budi, Tehsil-Pati, District-Barwani (MP) (DEIAA to SEIAA)

प्रकरण में समिति की 642वीं बैठक दिनांक 04/05/23 को प्रस्तुतीकरण हुआ था, जिसमें वर्ष 2021 के बाद की गूगल इमेज अनुसार खनन् कार्य प्रारंम्भ किया जाना प्रतीत हो रहा है जिस संदर्भ में पिरयोजना प्रस्तावक बताया कि इस प्रकरण पर्यावरणीय स्वीकृति डिया से दिनांक 31/05/2016 को जारी हुई है एंव खनन् का कार्य पूर्व में हुआ है डिया की ई.सी. शर्तो के अनुसार पौधारोपण होना चाहिए था, प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि पौधारोपण की शर्तो का पलान नहीं किया गया है । डिया से जारी हुई पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्त कमांक 11 में जिसमें सी.ई.आर. संबंधी कार्य किये जाने थे उनका भी पालन नहीं हुआ है अतएव समिति ने परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया कि ई.सी. शर्तो के अनुसार पौधे लगाने चाहिए जिनका पालन प्रतिवेदन एवं सी.ई.आर. संबंधी किये गये कार्यो की दस्तावेज, व्यय, फोटोग्राफ संशोधित फार्म—1 सिहत प्रस्तुत करें तब उनके प्रकरण पर विचार किया जायेगा ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी प्रस्तुत नहीं करने के कारण समिति की 656वीं बैठक दिनांक 23 / 06 / 23 को प्रकरण नस्तीबद्ध करने की अनुशंसा की गई थी ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति की 642वीं बैठक दिनांक 04/05/23 को वांछित जानकारी प्रस्तुत कर दी गई है, जिसे समिति की 674वीं बैठक दिनांक 02/09/23 को प्रस्तुतीकरण हुआ था । प्रस्तुतीकरण के दोरान समिति ने पाया कि प्रश्नाधीन खदान को पूर्व में डिया से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हुई है । परिक्षण के दौरान समिति ने पाया कि परियोजना प्रस्तावक को वितरण आदि मिलाकर कुल 1200 पौधे लगाये जाने थे। अतः डिया की अन्य शर्तो के साथ निम्न जानकारी प्रस्तुत करने के परियोजना प्रस्तावक को निर्देश दिये गए :—

- सम्पूर्ण खदान क्षेत्र दिखातें हुये ड्रोन फोटोग्राफी जिससे की किये गये वृक्षारोपण एवं फैन्सिंग की चारो ओर की पुष्टी हो सकें।
- कुल 1200 पौधे लगाये जाने है अतः 750 पौधे खदान क्षेत्र में एवं 550 पौधे वितरण करें,
 जिसमें प्राप्तकर्ता के नाम, मोबाईल न0 आदि प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत करें।
- सी.ई.आर. संबंधी शर्तो का पूर्णतः पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है, जिसे समिति की आज दिनांक 18/10/23 को सूचीबद्ध है, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री सचिन मालवीय की ओर उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री राम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आई.एन.सी., वडोदरा (गुजरात) उपस्थित हुए और उनके द्वारा प्रस्तुतीकरण किया गया ।

यह प्रकरण डिया द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के री-एपराईजल हेतु प्राप्त हुआ है। परियोजना प्रस्तावक एवं उनके सलाहकार द्वारा दिया गया प्रस्तुतीकरण पूर्ण नहीं पाया गया। अतः समिति द्वारा पुनः निम्न बिन्दुओं पर जानकारी एवं आवश्यक दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिये गये।

- 1. Copy of Form-I
- 2. Land status/P2:
- 3. Area & Location with Khasra no:
- 4. Current Ekal Praman Patra
- 5. Status of Eco-Sensitive Zone (mentioned in Old & new Ekal Praman Patr/SEIAA Proposal/DEIAA EC)
- 6. Production capacity and year wise production details, in tabular form till today:
- 7. OB Dump and waste management with facts and figures:
- 8. Top soil management with soil profile:
- 9. Detail of old Environment Clearance with validity period:
- 10. EC transfer details (if any), old EC no.....date.....
- 11. Lease agreement details with compliance of LRC provisions
- 12. Water requirement (KLD):
- 13. Green Area: in hac. & Number of plants to be planted (Proposed)
- 14. No of trees & tree felling total tree inventory with photos:
- 15. Work Done under CER with coordinates, photos & verifiable proof:
- 16. Compliance of EC conditions (EC granted by DEIAA):
 - Tree plantation (Target/compliance/ Photographs)
 - GPS Photo graphs of at least 25% plantation for the proposed plantation.
 - Fencing work (Polygon with GPS photos showing complete fencing in total periphery)
 - GPS Photo graphs of Garland drains length & number & size of settling tanks
 - Detail of plants distribution with list: name of villager's, mobile number, number of plants name of village.
 - Verifiable proof of CER
- 17. Drone photograph of 500 m radius of proposed area.
- 18. Carbon footprint.
- 19. Compliance of water/ air consents issued by MPPCB.

Note: 1. Form-I should tally with presentation (PPT) figures

- 2. Furnished data should be supported with Geo-tagged photographs.
- 3. Surface plan should include over burden storage and details of crusher location (established/to be established) with all norms.
- 23. Case No 9258/2022 M/s Akash Granite, R/o Indira Nagar, Karbai, Dist. Mahoba, UP 210424 Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 4.0 ha. (1,20,000 cum per annum) (Khasra No. 499), Village Ghatahari, Tehsil Gaurihar, Dist. Chhatarpur (MP) (EIA Query response)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 585वीं दिनांक 13/07/2022 में टॉर वॉयलेशन (TOR-Violation) की अनुशंसा की गई थी ।

प्रकरण समिति की 651वीं बैठक दिनांक 09/06/23 को प्रस्तुतकरण हुआ था, जिसमें प्रश्नाधीन खदान बीच से खुदी हुई दिख रही है इस संबंध में कार्यालय कलेक्टर (खिजन शाखा) पत्र क्रमांक 92 दिनांक 17/10/2022 के माध्यम से स्थल निरीक्षण प्रविदन प्रस्तुत किया गया जिसमें उल्लेख है पट्टेदार द्वारा यह बताया गया कि उक्त उत्खनन् नवीनीकरण आवेदन प्रस्तुतीकरण के पूर्व स्वीकृत अविध 25/09/2008 से 24/09/2018 तक के दौरान उक्त सूचना क्षेत्र पर उत्खनन् किया गया खसरा न. 499 पर अन्य खदाने संचालित हो रही है ग्राम घटहरी, तहसील — गौरीहार, जिला छतरपुर के खसरा न. 499 पर खनन कार्य किया जा रहा है। प्रस्तुत विवरण (पत्र क्रमांक 92 दिनांक 17/10/2022) में मेसर्स आकाश ग्रेनाईट का भी नाम अंकित है, जिससे यह स्पष्ट है कि खनन् कार्य सतत् जारी है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा कहा गया कि उनके द्वारा कोई खनन् कार्य नहीं किया गया है। अतः संबंधित खनिज अधिकारी परियोजना प्रस्तावक मेसर्स आकाश ग्रेनाईट के खनन् संचालन अविध (25/09/2008 से 24/09/2018) का पुनः परीक्षण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करे। खसरा न. 499 अन्य प्रचलित खदानो में चेनलिंग फेसिंग आदि का कार्य दृष्टिगत नहीं हो रहा है, अतः संबंधित खनिज अधिकारी मेसर्स आकाश ग्रेनाईट का जांच प्रतिवेदन पृथक से प्रस्तुत करे।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी समिति को प्रस्तुत करने हेतु अतिरिक्त समय चाहा गया था, जिसे समिति मान्य करते हुए समिति की 666वीं बैठक दिनांक 04/08/23 को अतिरिक्त 15 दिवस का समय प्रदान किया गया ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति की 651वीं बैठक दिनांक 09/06/23 में चाही गई जानकारी परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है, जिसे समिति की पूर्व 674वीं बैठक दिनांक 02/09/23 को प्रस्तुतीकरण हुआ था, जिसमें वायलेशन केस के संबंध में पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों अनुसार (एस.ओ.पी) रेमेडिएशन प्लान एवं अगमेन्डेशन प्लान प्रस्तुत करें, तत्पश्चात आपके प्रकरण पर विचार किया जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत कर दी गई है, जिसें सिमिति के समक्ष दिनांक 18/10/23 को रखा गया, जिसमें जिमसें परियोजना प्रस्तावक श्री दिनेश चंद्र गुप्ता एवं उनके पर्यावरण सलाहकार श्री कृष्णचंद्र पाण्डा, उपस्थित हुए । परियोजना प्रस्तावक प्रस्तुत जानकारी एवं उनके द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी की समीक्षा के पश्चात् समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक से निम्न बिन्दुओं पर जानकारी मय आवश्यक एवं सहायक दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत करें —

- 1. माईनिंग विभाग द्वारा लीज क्षेत्र का भौतिक निरीक्षण कर पूर्व में हुए उत्खनन का आंकलन किया जाये एवं तत्कालीन अनुमोदित माईनिंग प्लान में उल्लेखित उत्पादन क्षमता से तुलना कर अवैध उत्खनन की गणना की जावें। क्षेत्र में हुए इकोलॉजिकल डेमेज एवं उसका रेमेडियशन प्लान प्रस्तुत करें।
- 2. सी.टी.ओ. में उल्लेखित शर्तो का बिन्दुवार अनुपालन मय सहायक दस्तावेज एवं फोटोग्राफ के साथ प्रस्तुत करेंगें।
- 3. सिया के निर्देशानुसार (सितम्बर 2023) खदान के विरूद्ध एम.पी.पी.सी.बी. द्वारा की गई वैधानिक कार्यवाही के संबंध में विस्तृत जानकारी एवं वर्तमान स्टेटस प्रस्तुत करें।
- 4. खनन लीज वर्ष 2018—23 एवं 2023—28 तक नवीनीकृत की गई है। इस अवधि का उत्पादन डेटा समक्ष प्राधिकारी से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत करें।
- 24. <u>Case No 10084/2023 Shri Jitendra Sonare, Lessee, R/o Bhavani Chowk, Tehsil-Ghodadongri, District-Betul (MP)-460443, Prior Environment Clearance for Fulgohan Stone Quarry in an area of 1.49 ha. (5888 cum per year) (Khasra No. 164/2, 164/6, 165), Village Fulgohan, Tehsil- Ghodadongri, District- Betul (M.P.)</u> (DEIAA to SEIAA)

प्रस्तावित खदान का समिति की पूर्व 668वीं दिनांक 09 / 08 / 23 को प्रस्तुतीकरण हुआ था। प्रकरण का परीक्षण :--

- 1. प्रकरण का परीक्षण समिति द्वारा परिवेश मे अपलोडेड फार्म–1 के आधार पर किया गया।
- 2. खनन् का कार्य पूर्व में हुआ है डिया की ई.सी. शर्तो के अनुसार 500 पौधारोपण होना चाहिए था, प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि पौधारोपण की शर्तो का पालन नही किया गया है । अतएव समिति ने परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया कि ई.सी. शर्तो के अनुसार पौधे लगाने चाहिए जिनका पालन प्रतिवेदन एवं सी.ई.आर. संबंधी किये गये कार्यो की दस्तावेज, व्यय, फोटोग्राफ संशोधित फार्म—1 सहित प्रस्तुत करें तब उनके प्रकरण पर विचार किया जायेगा ।
- 3- खदान का भू—स्वामित्व अनुसूचित जनजाति का है, जिसमें सक्षम प्राधिकारी द्वारा सहमति विधि सम्मत होना नही पाया गया है। अतः सक्षम अधिकारी से सहमति प्राप्त कर पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है ।
- 4. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार सिंगल रो ब्लास्टिंग प्रस्तावित है परन्तु सिया की बैठक क0. 797 दिनांक 01/08/2023 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया है ''ऐसी अनुमोदित खनन

योजना जिसमें ब्लास्टिंग प्रस्तावित है तथा परियोजना प्रस्तावक द्वारा नॉन—ब्लास्टिंग का शपथ—पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है उन प्रकरणों में नॉन—ब्लास्टिंग संक्रिया हेतु खनिज विभाग के सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित खनन योजना परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु परिवेश पोर्टल पर आवेदन के साथ अनिवार्यतः संलग्न की जायें।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है, जिसे दिनांक 18/10/23 को सूचीबद्ध किया गया है, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री जितेन्द्र सोनारी एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री राम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी, बडौदा, गुजराज द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

यह प्रकरण डिया द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के री-एपराईजल हेतु प्राप्त हुआ है। परियोजना प्रस्तावक एवं उनके सलाहकार द्वारा दिया गया प्रस्तुतीकरण पूर्ण नहीं पाया गया। अतः समिति द्वारा पुनः निम्न बिन्दुओं पर जानकारी एवं आवश्यक दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिये गये।

- 1. Copy of Form-I
- 2. Land status/P2:
- 3. Area & Location with Khasra no:
- 4. Current Ekal Praman Patra
- 5. Status of Eco-Sensitive Zone (mentioned in Old & new Ekal Praman Patr/SEIAA Proposal/DEIAA EC)
- 6. Production capacity and year wise production details, in tabular form till today:
- 7. OB Dump and waste management with facts and figures:
- 8. Top soil management with soil profile:
- 9. Detail of old Environment Clearance with validity period:
- 10. EC transfer details (if any), old EC no.....date.....
- 11. Lease agreement details with compliance of LRC provisions
- 12. Water requirement (KLD):
- 13. Green Area: in hac. & Number of plants to be planted (Proposed)
- 14. No of trees & tree felling total tree inventory with photos:
- 15. Work Done under CER with coordinates, photos & verifiable proof:
- 16. Compliance of EC conditions (EC granted by DEIAA):
 - Tree plantation (Target/compliance/ Photographs)
 - GPS Photo graphs of at least 25% plantation for the proposed plantation.
 - Fencing work (Polygon with GPS photos showing complete fencing in total periphery)
 - GPS Photo graphs of Garland drains length & number & size of settling tanks
 - Detail of plants distribution with list: name of villager's, mobile number, number of plants name of village.

- Verifiable proof of CER
- 17. Drone photograph of 500 m radius of proposed area.
- 18. Carbon footprint.
- 19. Compliance of water/ air consents issued by MPPCB.
- 20.क्षतिपूर्ति के संबंध में:-
 - म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 247 (5) के तहत संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा भूमि स्वामियों की क्षतिपूर्ति के निर्धारण हेतु किये गये प्रावधानों/उपबंधों का पालन भूमि स्वामियों को समक्ष में सुनकर भूमि के सतह अधिकार के संबंध में क्षतिपूर्ति का निर्धारण सुनिश्चित किया जाये।
 - म.प्र. गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 9 (क) एवं नियम,06(क) के प्रावधान अंतर्गत कण्डिका 04 में किये गये प्रावधानों के अनुरूप सहमति धारक को उत्खनन पट्टा स्वीकृत होने पर, देय रॉयल्टी के 15 प्रतिशत के समतुल्य रकम का सहमति धारक को भुगतान सुनिश्चित किया जाये। उपरोक्त शर्ती का पालन भू-प्रवेश अनुमति के पूर्व सुनिश्चित किया जावें।

Note: 1. Form-I should tally with presentation (PPT) figures

- 2. Furnished data should be supported with Geo-tagged photographs.
- 3. Surface plan should include over burden storage and details of crusher location (established/to be established) with all norms.

(चंद्र मोहन ठाकुर) सदस्य सचिव (डॉ. पी.सी. दुबे) अध्यक्ष

<u>Following standard conditions shall be applicable for the mining projects of minor mineral in addition to the specific conditions and cases appraised for grant of TOR:</u>

Annexure- 'A'

Standard conditions applicable to Stone/Murrum and Soil quarries:

- 1. Mining should be carried out as per the submitted land use plan and approved mine plan. The regulations of danger zone (500 meters) prescribed by Directorate General of Mines safety shall also be complied compulsorily and necessary measures should be taken to minimize the impact on environment.
- 2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and fenced from all around the site. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
- 3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded along with annual record of water consumed in sprinkling during Summer (February to May/June) and winter session (October to January) separately.
- 4. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
- 5. Mineral evacuation road shall be made pucca (WBM/black top) by PP.
- 6. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
- 7. Crusher with inbuilt APCD & water sprinkling system shall be installed minimum 100 meters away from the road and 500 meters away from the habitations only after the permissions of MP Pollution Control Board with atleast 04 meters high wind breaking wall of suitable material to avoid fugitive emissions.
- 8. Working height of the loading machines shall be compatible with bench configuration.
- 9. Slurry Mixed Explosive (SME) shall be used instead of solid cartridge.
- 10. The OB shall be reutilized for maintenance of road. PP shall bound to compliance the final closure plan as approved by the IBM.
- 11. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
- 12. Six monthly occupational health surveys of workers for Cardio-vascular & Pulmonary health, vital parameters as prescribed by concerned regulatory authority shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
- 13. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
- 14. To avoid vibration, no overcharging shall be carried out during blasting and muffle blasting shall be adopted. Blasting shall be carried out through certified blaster only and no explosive will be stored at mine site without permission from the competent authority.
- 15. Mine water should not be discharged from the lease and be used for sprinkling & plantations. For surface runoff and storm water garland drains and settling tanks (SS pattern) of suitable sizes shall be provided.
- 16. All garland drains shall be connected to settling tanks through settling pits and settled water shall be used for dust suppression, green belt development and beneficiation plant. Regular de-silting of drains and pits should be carried out.
- 17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
- 18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.

- 19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area. PP shall take Socio-economic activities in the region through the 'Gram Panchayat'.
- 20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
- 21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
- 22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
- 23. All the mines where production is > 50,000 cum/year, PP shall develop its own website to display various mining related activities proposed in EMP & CER along with budgetary allocations. All the six monthly progress report shall also be uploads on this website along with MoEF&CC & SEIAA, MP with relevant photographs of various activities such as garland drains, settling tanks, plantation, water sprinkling arrangements, transportation & haul road etc. PP or Mine Manager shall be made responsible for its maintenance & regular updation.
- 24. All the soil queries, the maximum permitted depth shall not exceed 02 meters below general ground level & other provisions laid down in MoEF&CC OM No. L-11011/47/2011-IA.II(M) dated 24/06/2013.
- 25. The mining lease holders shall after ceasing mining operation, undertake re-grassing the mining area and any other area which may have been disturbed due to their mining activities and restore the land to a condition which is fit for growth of fodder, flora, fauna etc. Moreover, a separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
- 26. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEF&CCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
- 27. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
- 28. Authorization (if required) under Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 should be obtained by the PP if required.
- 29. A display board (in hindi) with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - a. Lease owner's Name, Contact details etc.
 - b. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
 - c. Length, breadth, sanctioned depth of mine and mining time.
 - d. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
 - e. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised) and Blasting or Non-blasting.
 - f. Plantation and CER activities.
- 30. Dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
- 31. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out as per submitted plantation scheme and along the fencing seed sowing of Neem, Babool, Safed Castor etc shall also be carried out.
- 32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
- 33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.

- 34. Before onset of monsoon season as per submitted plantation scheme fruit bearing species preferably of fodder / native shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
- 35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
- 36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.

Annexure- 'B'

Standard conditions applicable for the Sand Mine Quarries*

- 1. District Authority should annually record the deposition of sand in the lease area (at an interval of 100 meters for leases 10 ha or > 10.00 ha and at an interval of 50 meters for leases < 10 ha.) before monsoon & in the last week of September and maintain the records in RL (Reduce Level) Measurement Book. Accordingly authority shall allow lease holder to excavate only the replenished quantity of sand in the subsequent year.
- 2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
- 3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
- 4. Only registered vehicles/tractor trolleys with GPS which are having the necessary registration and permission for the aforesaid purpose under the Motor Vehicle Act and also insurance coverage for the same shall alone be used for said purpose.
- 5. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
- 6. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
- 7. Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometer (1Km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side, subjected to a minimum of 250 meters on the upstream side and 500 meters on the downstream side.
- 8. Mining depth should be restricted to 3 meters or water level, whichever is less and distance from the bank should be 1/4th or river width and should not be less than 7.5 meters. No in-stream mining is allowed. Established water conveyance channels should not be relocated, straightened, or modified.
- 9. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to the start of mining.
- 10. PP shall carry out independent environmental audit atleast once in a year by reputed third party entity and report of such audit be placed on public domain such audits be placed on public domain through website developed for public interface along with photographs of work done w.r.t. EMP as well as CER.
- 11. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
- 12. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 and Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020 issued by the MoEF&CC ensuring that the annual replenishment of sand in the mining lease area is sufficient to sustain the mining operations at levels prescribed in the mining plan.
- 13. If the stream is dry, the excavation must not proceed beyond the lowest undisturbed elevation of the stream bottom, which is a function of local hydraulics, hydrology, and geomorphology.
- 14. After mining is complete, the edge of the pit should be graded to a 2.5:1 slope in the direction of the flow.
- 15. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.

- 16. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
- 17. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights. All these facilities such as rest shelters, site office etc. Shall be removed from site after the expiry of the lease period.
- 18. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020 and these details should be provided in Annual Environmental Statement.
- 19. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
- 20. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
- 21. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
- 22. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
- 23. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
- 24. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
- 25. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
- 26. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M dated 16/01/2020.
- 27. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
- 28. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
- 29. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - g. Lease owner's Name, Contact details etc.
 - h. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
 - i. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
 - j. Minable Potential of sand mine.
 - k. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
 - 1. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised)
- 30. Following conditions must be implemented by PP in case of sand mining as per NGT (CZ) order dated 19/10/2020 in OA NO. 66/2020 and SEIAA's instruction vide letter No. 5084 dated 09/12/2020.
 - i. The Licensee must use minimum number of poclains and it should not be more than two in the project site.
 - ii. The District Administration should assess the site for Environmental impact at the end of first year to permit the continuation of the operation.
 - iii. The ultimate working depth shall be 01 m from the present natural river bed level and the thickness of the sand available shall be more than 03 m the proposed quarry site.
 - iv. The sand quarrying shall not be carried out blow the ground water table under any circumstances. In case, the ground water table occurs within the permitted depth at 01 meter, quarrying operation shall be stopped immediately.
 - v. The sand mining should not disturb in any way the turbidity, velocity and flow pattern of the river water.

- vi. After closure of the mining, the licensee shall immediately remove all the sheds put up in the quarry and all the equipments used for operation of sand quarry. The roads/pathways shall be leveled to let the river resume its normal course without any artificial obstruction to the extent possible.
- vii. The mined out pits to be backfilled where warranted and area should be suitable landscaped to prevent environmental degradation.
- viii. PP shall adhere to the norms regarding extent and depth of quarry as per approved mining plan. The boundary of the quarry shall be properly demarcated by PP.
- 31. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the river banks for bank stabilization and to check soil erosion while on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
- 32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
- 33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
- 34. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
- 35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
- 36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
- 37. As per Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020, Page no. 24 Para (r) minimum 7.5 meters (inward) "from the river......bank" shall be restricted should be followed in verbatum as the para says.
- 38. विगत वर्षो में जारी पूर्व पर्यावरण स्वीकृति में एवं वर्तमान में जारी पर्यावरण स्वीकृति में उल्लेखित समस्त शर्तो का पालन मध्यप्रदेश स्टेट माईनिंग कॉर्पोरेथन द्वारा सुनिध्वित किया जावेगा।
- 39. पूर्व एवं वर्तमान ई.सी. शर्तो का पालन प्रतिवेदन निर्धारित समयावधि में एम.ओ.ई.एफ. एण्ड सी.सी. तथा एम.पी. सिया, के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

Annexure- 'C'

Standard conditions applicable for the Sand deposits on Agricultural Land/ Khodu Bharu Type Sand Mine Quarries*

- 1. Mining should be done only to the extent of reclaiming the agricultural land.
- 2. Only deposited sand is to be removed and no mining/digging below the ground level is allowed.
- 3. The mining shall be carried out strictly as per the approved mining plan.
- 4. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
- 5. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.

- 6. The mining activity shall be done as per approved mine plan and as per the land use plan submitted by PP.
- 7. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
- 8. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
- 9. For carrying out mining in proximity to any bridge and/or embankment, appropriate safety zone on upstream as well as on downstream from the periphery of the mining site shall be ensured taking into account the structural parameters, location aspects, flow rate, etc., and no mining shall be carried out in the safety zone.
- 10. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
- 11. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 issued by the MoEF&CC.
- 12. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
- 13. Thick plantation shall be carryout on the banks of the river adjacent to the lease, mineral evacuation road and common area in the village. PP would maintain the plants for five years including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations.
- 14. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
- 15. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
- 16. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
- 17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
- 18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
- 19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
- 20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
- 21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
- 22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
- 23. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
- 24. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
- 25. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
- 26. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - m. Lease owner's Name, Contact details etc.
 - n. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
 - o. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
 - p. Minable Potential of sand mine.

- q. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
- r. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised)
- 27. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the nearby river banks for bank stabilization and to check soil erosion while dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
- 28. Dense plantation shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
- 29. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out in the first year itself as per submitted plantation scheme.
- 30. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
- 31. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. Plantation in adjoining forest land shall be carried out through concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
- 32. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
- 33. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
- 34. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
- 35. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
- 36. The monitoring of the compliance of the conditions incorporated in the Environmental Clearance issued prior to the State Mining Corporation shall be carried out through the District mining office at District level and compliances be communicated to SEIAA within 06 months.
- 37. Riparian habitat including vegetative cover on and adjacent to the river bank controls erosion, provide nutrient inputs into the stream and prevent intrusion of pollutatns in the stream through runoff. Bank erosion and change of morphology of the river can destroy the riparian vegetative cover should be protected.
- 38. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to start of mining.
- 39. The State Mining Corporation shall constitute an Environmental Cell including minimum of three persons qualified in the field to ensure the compliance of EC conditions.
- 40. The State Mining Corporation shall ensure the compliance of the different provision made in the Sand Mining Management Guidelines-2016 & Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020, with Special reference to the para 4.3 and para-8 at page no. 45 of the said Guidelines.
- 41. Sand and gravel shall not be allowed to be extracted where erosion may occur, such as at the concave bank.

- 42. The slope of mining area adjacent to agricultural fields should be proper (preferably 45 degree) and adequate gap (minimum 10 feet) be left from adjacement agricultural field to avoid erosion and scouning.
- 43. In sand mining over other areas apart from river bed replenishment study in the said area be carriedout every year by Mining Officer and subject to availability of sand quantity mining should allowed by Mining Officer during EC period as Sand replacement in such areas are subject to certain conditions and not a regular feature.
- 44. The top soil in Khodu-Bharu Sand mine shall be stored separately and shall be used for agriculture field only; it should not be washed away during sand washing process.

Annexure- 'D'

General conditions applicable for the granting of TOR

- 1. The date and duration of carrying out the baseline data collection and monitoring shall be informed to the concerned Regional Officer of the M.P Pollution Control Board.
- 2. During monitoring, photographs shall be taken as a proof of the activity with latitude & longitude, date, time & place and same shall be attached with the EIA report. A drone video showing various sensitivities of the lease and nearby area shall also be shown during EIA presentation.
- 3. An inventory of various features such as sensitive area, fragile areas, mining / industrial areas, habitation, waterbodies, major roads, etc. shall be prepared and furnished with EIA.
- 4. An inventory of flora & fauna based on actual ground survey shall be presented.
- 5. Risk factors with their management plan should be discussed in the EIA report.
- 6. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
- 7. The EIA document shall be printed on both sides, as far as possible.
- 8. All documents should be properly indexed, page numbered.
- 9. Period/date of data collection should be clearly indicated.
- 10. The letter /application for EC should quote the SEIAA case No./year and also attach a copy of the letter prescribing the TOR.
- 11. The copy of the letter received from the SEAC prescribing TOR for the project should be attached as an annexure to the final EIA/EMP report.
- 12. The final EIA/EMP report submitted to the SEIAA must incorporate all issues mentioned in TOR and that raised in Public Hearing with the generic structure as detailed out in the EIA report.
- 13. Grant of TOR does not mean grant of EC.
- 14. The status of accreditation of the EIA consultant with NABET/QCI shall be specifically mentioned. The consultant shall certify that his accreditation is for the sector for which this EIA is prepared. If consultant has engaged other laboratory for carrying out the task of monitoring and analysis of pollutants, a representative from laboratory shall also be present to answer the site specific queries.
- 15. On the front page of EIA/EMP reports, the name of the consultant/consultancy firm along with their complete details including their accreditation, if any shall be indicated. The consultant while submitting the EIA/EMP report shall give an undertaking to the effect that the prescribed TORs (TOR proposed by the project proponent and additional TOR given by the MOEF & CC) have been complied with and the data submitted is factually correct.
- 16. While submitting the EIA/EMP reports, the name of the experts associated with involved in the preparation of these reports and the laboratories through which the samples have been got analyzed should be stated in the report. It shall be indicated whether these laboratories are approved under the Environment (Protection) Act, 1986 and also have NABL accreditation.
- 17. All the necessary NOC's duly verified by the competent authority should be annexed.
- 18. PP has to submit the copy of earlier Consent condition /EC compliance report, whatever applicable along with EIA report.
- 19. The EIA report should clearly mention activity wise EMP and CER cost details and should depict clear breakup of the capital and recurring costs along with the timeline for incurring the capital cost. The basis of allocation of EMP and CER cost should be detailed in the EIA report to enable the comparison of compliance with the commitment by the monitoring agencies.
- 20. A time bound action plan should be provided in the EIA report for fulfillment of the EMP commitments mentioned in the EIA report.

- 21. The name and number of posts to be engaged by the PP for implementation and monitoring of environmental parameters should be specified in the EIA report.
- 22. EIA report should be strictly as per the TOR, comply with the generic structure as detailed out in the EIA notification, 2006, baseline data is accurate and concerns raised during the public hearing are adequately addressed.
- 23. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
- 24. Public Hearing has to be carried out as per the provisions of the EIA Notification, 2006. The issues raised in public hearing shall be properly addressed in the EMP and suitable budgetary allocations shall be made in the EMP and CER based on their nature.
- 25. Actual measurement of top soil shall be carried out in the lease area at minimum 05 locations and additionally N, P, K and Heavy Metals shall be analyzed in all soil samples. Additionally in one soil sample, pesticides shall also be analyzed.
- 26. A separate budget in EMP & CER shall be maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
- 27. PP shall submit biological diversity report stating that there is no adverse impact in- situ and on surrounding area by this project on local flora and fauna's habitat, breeding ground, corridor/ route etc. This report shall be filed annually with six-monthly compliance report.
- 28. The project proponent shall provide the mitigation measures as per MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area" with EIA report.
- 29. LPG gas may be provided for camping labour under "Ujjwala Yojna.
- 30. In the project where ground water is proposed as water source, the project proponent shall apply to the competent authority such as Central Ground Water Authority (CGWA) as the case may be for obtaining, No Objection Certificate (NOC).
- 31. Consideration of mining proposals involving violation of the EIA Notification, 2006, the project proponent shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court of India dated 02/08/2017 in WP © No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause V/s Union of India & others before grant of TOR/EC. The under taking interalia includes commitment of the PP not to repeat any such violation in future as per MoEF&CC OM No. F.NO. 3-50/2017-IA.III (Pt.) dated 30/05/2018.
- 32. The mining project proponents involving violations of the EIA Notification, 2006 under the provisions of S.O. 804 (E) dated 14/03/2017 and subsequent amendments for TOR/EC shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court dated the 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and Ors. Before grant of TOR/EC the undertaking inter-alia include commitment of the PP not to repeat any such violation of future. In case of violation of above undertaking, the TOR/Environmental Clearance shall be liable to be terminated forthwith.
- 33. If the allotted land is private land and agricultural practices are being carriedout in the nearby area, the effect of mining on agricultural practices shall be studied and dicussed in the EIA report with the economic value of agricultural produce for last three yaears and details of total land holding of the PP in that district.
- 34. In case of mining on land where the land belongs to Charagah (Grazing) as per P-II form, proposal for development of equal area of land as grazing land shall be submitted with EIA report with its budgetary provisions. This Grazing land can be developed in consultation with DFO or Gram Panchayat of concerned area.
- 35. Under CER scheme commitments with physical targets shall be included in EIA report for:
 - ✓ Proposal for CER activities based upon commitment made during public hearing and COVID-19 pandemic.
 - Activities such as solar panels in school, awareness camps for Oral Hygiene, Diabetes and Blood Pressure, works related to plantation (distribution of fruit & fodder bearing trees) vaccination, cattle's health checkup etc. in concerned village shall be proposed.
 - ✓ No fuel wood shall be used as a source of energy by mine workers. Thus proposal for providing solar cookers / LPG gas cylinders under "Ujjwala Yojna" to them who are residing in the nearby villages, shall be considered.
 - ✓ PP's commitment that activities proposed in the CER scheme will be completed within initial 03 years of the project and in the remaining years shall be maintained shall be submitted with EIA report.

- 36. Under Plantation Scheme commitments with budgetary allocations shall be included in EIA report for:
 - Comprehensive green belt plan with commitment that entire plantation shall be carried out in the initial three years and will be maintained thereafter with causality replacement. Proposal for distribution of fruit bearing species for nearby villagers shall also be incorporated in the plantation scheme and for which a primary survey for need assessment in concerned village shall be carried out.
 - ✓ Commitment that plantation shall be carried out preferably through Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
 - ✓ Commitment that high density plantation (preferably using "Miyawaki Technique or WALMI technique) shall be developed in 7.5m barrier zone left for plantation through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency.
 - Commitment that local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land suitable for the purpose through Forest Department/ through Gram Panchayat on suitable community land in the concerned village area.
 - ✓ PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
 - ✓ Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, minimum 50 saplings be planted considering 80% survival.
 - Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.

FOR PROJECTS LOCATED IN SCHEDULED (V) TRIBAL AREA, following should be studied and discussed in EIA Report before Public Hearing as per the instruction of SEIAA vide letter No. 1241 dated 30/07/2018.

- 37. Detailed analysis by a National Institute of repute of all aspects of the health of the residents of the Schedule Tribal block.
- 38. Detailed analysis of availability and quality of the drinking water resources available in the block.
- 39. A study by CPCB of the methodology of disposal of industrial waste from the existing industries in the block, whether it is being done in a manner that mitigate all health and environmental risks.
- 40. The consent of Gram Sabah of the villages in the area where project is proposed shall be obtained.

खदान क्षेत्र मे किये जाने वाले वृक्षारोपण हेत् निर्देश :--

- नोट 1:- स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए ।
- नोट 2:- विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रूचि रखने वाले स्थानीय जानकारों से राय ली जाने की सलाह है ।
- नोट 3:— पौधों की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख—रेख, मृदा नमीं को बनाये रखने हेतु मिल्चिंग जल—संरचनाओं का निर्माण, निदाई—गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए ।
- नोट 4:— परिवहन मार्ग के किनारे लगाये जाने वाले पेड़ों के चारों ओर ट्री गार्ड होना आवश्यक है । इसी प्रकार स्कूल/ ऑगनवाडी/पंचायत भवन इत्यादि में प्रस्तावित वृक्षारोपणों के चारों ओर सुरक्षा के इंतजाम जैसे फेंसिग/ट्री गार्ड आवश्यक रूप से प्रस्तावित किये जाये ।
- नोट 5:- भू-क्षरण स्थल पाये जाने पर भू-संरक्षण का कार्य (विशेष रूप से वाटर चेनल के किनारे तथा उत्पत्ति स्थान पर) किया जाना चाहिए।

नोट 6:- रोपित पौधो का मापदंड एवं अन्य कार्य

क.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम्	गोलाई न्यूनतम्
1.	बैरियर जोन / नॉन माईनिंग क्षेत्र	02.5 — 03.0 फिट	03—05 से. मी.
2.	रोड़ साईड / स्कूल / ऑगनवाडी	03.5 — 05.5 फिट	05—10 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई—गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में)		
	तीन वर्षो तक ।		
4.	आवश्यक्तानुसार सिंचाई एवं प्राथमिकता पर जैविक खाद		

नोट 7 :- बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख-रेख -

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई / जुताई उपचार, वर्षा पूर्व रोपण। जामुन, महुँआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् रोपण।
- अंकुरण पश्चात् ४ से ६ पत्तियाँ आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई—गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षो तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना ।
- सीड–बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।

नोट - 8 :- रेत के प्रकरणों में (पौधो की ऊँचाई न्यूनतम् 1.5 मीटर)

1	एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति की दूरी एवं दूसरी से तीसरी पंक्ति शाकीय पौधे जैसे : खस, घास, अगेव स्थानीय घास बीजप्रजातियाँ।	1.00 से 1.5 मीटर (पंक्ति में पौधो के बीच की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर)
2	4 पंक्ति से 5वीं पंक्ति (वृक्ष प्रजाति)	न्यूनतम् दूरी 3 मीटर (पौधों के बीच में दूरी 03 मीटर)
3	6वीं पंक्ति 3.0 से 5.0 मीटर (वृक्ष प्रजाति)	पौधों के बीच में 3 से 5 मीटर

- (चयनित प्रजातियों एवं नदी के किनारों पर भूमि की उपलब्धता को ध्यान में रखकर आवंटित क्षेत्र से बाहरी दिशा में 10 से 15 मीटर की चौड़ाई में हरित पट्टी विकसित किया जाये)
- नोट 9 :- छठी पंक्ति हेतु पौधों की सुरक्षा अवधि न्यूनतम् 3 वर्ष
- जामुन, कहवा, कंरज, नीम, पौधों में पौधों की दूरी 2.5 मीटर से 5 मीटर लसोड़ा, करंज, आम, इत्यादि ।
- नोट प्रथम तीन पंक्तियों के पौधों के मध्य में एक वर्षीय औषधि प्रजातियों का बीच छिडकाव ।

1	पहली, दूसरी, तीसरी पंक्ति हेतु (स्थानीय घांस प्रजातियाँ, खस घास बीजअगेव आदि)	पंक्ति से पंक्ति की दूरी 01 से 10.5 फीट पंक्ति में पौधों से पौधों की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर ।
2	स्थानीय झाड़ी प्रजाति के पींघ	01 11.6 फीटर
3	चौथी से पॉचवी, छठवीं पंक्ति हेतु बॉस एवं स्थानीय झाड़ी प्रजाति ।	पंक्ति की दूरी 2.5 मीटर से 3 मीटर पंक्ति में पौधों की दूरी 3 मीटर से 5 मीटर

- मौसमी नदी के न्यूनतम 05 मीटर तथा पेरिनियल रिवर में न्यूनतम 10मी तक घाटो के किनारे स्थित वृक्षो, झाडियों, लताओ को और घास को क्षित नहीं पहूँचाई जायेगी।
- रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक / कृषको से सहमित पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
- खदान संचालन शुरू करने के पहले पिरयोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई च्तवदम ठतममकपदह ब्मदजमत तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।